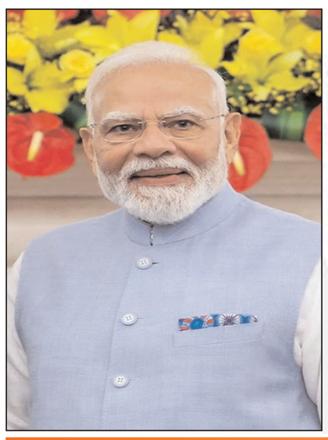

सब का सपना

निष्पक्ष व निडर - हिंदी दैनिक समाचार पत्र

हीरे से लेकर हथियारों तक, बेल्जियम के साथ मिलकर मोदी ने यूरोप के पेज: 4

कियारा का के सीक्वल में नजर आ सकती हैं कियारा आडवाणी पेज: 12

वर्ष : 02 | अंक : 151 | शनिवार 05 सितंबर 2026 | अमरोहा (उत्तर प्रदेश) | www.sabkasapna.com | पृष्ठ : 08 | मूल्य: 2 रुपए

जम्मू-कश्मीर में छिपे बैठे हैं 2 आतंकी, सुरक्षाबलों ने इलाका घेर शुरू किया सर्च ऑपरेशन

जम्मू : बडगाम के यूसमर्ग क्षेत्र में 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। जानकारी के अनुसार सुरक्षाबलों को आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी जिसके बाद मौके पर पहुंचकर सुरक्षाबलों ने तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान आतंकियों और सुरक्षाबलों में मुठभेड़ भी हुई। जानकारी मिली है कि क्षेत्र में 2 आतंकी छिपे बैठे हैं। फिलहाल सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। जानकारी के अनुसार जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में आतंकियों की सूचना मिलने के बाद सुरक्षाबल मौके पर पहुंचे। जवानों ने क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इसी दौरान आतंकियों और सुरक्षाबलों में मुठभेड़ शुरू हो गई और दोनों ओर से गोलीबारी हुई। इसके बाद सुरक्षाबलों ने इलाके को पूरी तरह से घर लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार यूसमर्ग क्षेत्र में 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है।

भारत के पास दुनिया की कार्यशाला, हमारे पास वैश्विक बाजार : बेल्जियम के पीएम

नई दिल्ली: दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर शुक्रवार को मुंबई पहुंचे। महाराष्ट्र सरकार के विपणन और प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल ने मुंबई हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इसके बाद बेल्जियम के प्रधानमंत्री बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) स्थित भारत डायमंड बोर्स (बीडीबी) पहुंचे, जहां उन्होंने हीरा उद्योग, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र से जुड़े प्रमुख प्रतिनिधियों और हितधारकों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत और बेल्जियम के बीच हीरा व्यापार समेत व्यापक आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की संभावनाओं पर चर्चा की। आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर

जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि बेल्जियम के प्रधानमंत्री के मुंबई दौरे के दौरान हीरा उद्योग, पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र से जुड़े प्रमुख प्रतिनिधियों तथा हितधारकों के साथ उनकी महत्वपूर्ण बैठकें निर्धारित हैं। उन्होंने कहा कि इन बैठकों और चचाओं से भारत और बेल्जियम के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने तथा व्यापार और निवेश के नए अवसरों को बढ़ावा देने में मदद मिलने की उम्मीद है। भारत को बताया दुनिया की डायमंड वर्कशॉप भारत डायमंड बोर्स में संबोधन के दौरान बार्ट डी वेवर ने कहा कि पिछले कुछ दशकों में भारत कम लागत वाले डायमंड कटिंग केंद्र से आगे बढ़कर उच्च गुणवत्ता वाले केंद्र के रूप में उभरा है। यहां आधुनिक तकनीक और विश्वस्तरीय कामकाज के मानकों को अपनाया गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया के हर 10 में से 9 से अधिक हीरे भारत में काटे और तराशे जाते हैं। भारत अब केवल हीरों की प्रोसेसिंग करने वाला देश नहीं है, बल्कि हीरे के आभूषणों के लिए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार भी है। उन्होंने कहा कि भारत में हीरों की कटिंग और पॉलिशिंग के साथ-साथ घरेलू स्तर पर इन उत्पादों के लिए बड़ा बाजार भी मौजूद है। एंटवर्प और भारत एक-दूसरे के पूरक बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने कहा कि दूसरी ओर एंटवर्प आज भी हीरा कटाई और व्यापार का प्रमुख केंद्र है, खासकर बेहद विशेष और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए। उन्होंने कहा कि एंटवर्प की सबसे महत्वपूर्ण ताकत उसका वैश्विक बाजार है, जहां दुनिया भर का हीरा व्यापार एक साथ आता है। उन्होंने भारत और एंटवर्प को एक-दूसरे का पूरक बताते हुए कहा, आपके पास दुनिया की कार्यशाला है और हमारे पास वह जगह है जहां दुनिया मिलती है। हमारे पास अनुभव है। हम अलग-अलग पक्षों को साथ लाते हैं, खरीदारों से जोड़ते हैं और हमारे पास ऐसा नेटवर्क है जो दुनिया भर तक फैला हुआ है। साथ ही, हम गुणवत्ता पर भी नजर रखते हैं। भारत-एंटवर्प व्यापार को मजबूत करने के लिए नए कार्यालय का उद्घाटन बार्ट डी वेवर ने कहा कि उन्हें भारत और एंटवर्प के बीच हीरा व्यापार को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से एक नए एचआरटी कार्यालय के उद्घाटन का सम्मान मिला है। उन्होंने कहा कि भारत और बेल्जियम के बीच व्यापारिक संबंधों को और विस्तार देने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। दोनों देशों के बीच हीरा उद्योग लंबे समय से व्यापारिक सहयोग का प्रमुख क्षेत्र रहा है

लेकिन आखिरकार दोनों देश इस मुकाम तक..........

बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और बेल्जियम के बीच बातचीत में करीब 20 साल लग गए, लेकिन आखिरकार दोनों देश इस मुकाम तक पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि समझौते के तहत कई तरह के उत्पादों पर लगने वाले

विरासत से जुड़कर ही विकसित राष्ट्र बनने का सपना पूरा कर सकता है भारत: योगी

मथुरा: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत अपनी विरासत से जुड़कर ही विकसित राष्ट्र बनने का सपना पूरा कर सकता है। मुख्यमंत्री ने मथुरा में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के शासनकाल में राज्य में बड़ा बदलाव आया है और अब यहां दंगों व अशांति के डर के बजाय पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं। योगी ने आरोप लगाया कि लंबे समय तक विकास को केवल सड़क, बिजली, पानी, इमारतों और उद्योगों के नजरिये से देखा गया जबकि विरासत की अनदेखी की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास के नाम पर विरासत का अपमान होता रहा और

इतिहास के नायकों को भारत की स्मृतियों से मिटाने के प्रयास किए गए। योगी ने मथुरा के इतिहास और मंदिरों पर हुए कथित हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि बार-बार हुए हमलों के बावजूद सनातन परंपराएं कायम रहीं। उन्होंने कहा, "विदेशी आक्रांताओं ने मंदिरों को नष्ट कर दिया लेकिन क्या वे श्रीकृष्ण की याद को मिटा पाए? क्या वे राधा रानी की याद को मिटा पाए? क्या जन्माष्टमी का उत्सव रुका? क्या वृंदावन में भक्ति रुकी? क्या बरसाना की होली रुकी? क्या गोवर्धन परिक्रमा रुकी? नहीं। यही हमारा सनातन है। यही ब्रज की ताकत है। मुख्यमंत्री ने अयोध्या का उदाहरण देते हुए दावा किया कि राम मंदिर का निर्माण लंबे सभ्यतागत संघर्ष का परिणाम है। उन्होंने कहा, "ये परंपराएं जारी रहीं, सनातन की भावना के साथ आगे बढ़ीं और संघर्ष के लिए नया जोश पैदा किया। नतीजा यह है कि आज अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है।" योगी ने कहा कि विरासत केवल स्मारकों तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा, "विरासत हमारे मंदिरों, हमारी भाषा, हमारे साहित्य, हमारे संगीत, हमारी कला, हमारे दर्शन, गणित, विज्ञान, चिकित्सा, कौशल और ज्ञान, हमारी लोक परंपराओं और हमारी ज्ञान परंपरा में बसी है। मुख्यमंत्री ने कहा, "हमारा संदेश बहुत स्पष्ट है। भारत अपनी विरासत से जुड़कर ही विकसित राष्ट्र बनने का सपना पूरा करेगा।"

हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल ! 29 आईपीएस और 1 एचपीएस अधिकारी का तबादला, 5 जिलों के पुलिस कप्तान बदले

गुरुग्राम: हरियाणा सरकार ने कानून-व्यवस्था को और चुस्त-दुरुस्त बनाने के उद्देश्य से पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। राज्य सरकार द्वारा जारी आधिकारिक आदेशों के अनुसार, 29 भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों और 1 हरियाणा पुलिस सेवा अधिकारी का तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण व नियुक्ति कर दी गई है। इस फेरबदल के तहत 5 जिलों के पुलिस प्रमुखों को बदलने के साथ-साथ कई वरिष्ठ अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। बृहस्पतिवार को जारी सरकारी आदेश के अनुसार, जिन आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है उनमें अमिताभ ढिल्लों भी शामिल हैं, जिन्हें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी), आधुनिकीकरण और कल्याण के पद पर तैनात किया

गया है। उन्हें आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) के एडीजीपी और यातायात एवं राजमार्ग के एडीजीपी का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। सीबीआई में प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी करने के बाद लौटे वर्ष 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी अश्विन को करनाल रेंज का पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्त किया गया है। उन्हें हरियाणा सशस्त्र पुलिस (एचएपी), मधुबन, करनाल के आईजीपी का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। करनाल रेंज के आईजीपी अशोक कुमार को पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय (पीटीसी), सुनारिया का आईजीपी नियुक्त किया गया है। राज्य अपराध शाखा (एससीबी) के पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजेश कुमार अपने मौजूदा दायित्वों के साथ गुरुग्राम में सामुदायिक पुलिसिंग एवं आउटरीच तथा स्क्रूटिनी एसपी का प्रभार भी संभालेंगे। आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) के एसपी लोकेंद्र सिंह को अपने वर्तमान कार्यभार के अलावा सुरक्षा (सीआईडी) के एसपी और कमांडो, नेवल के एसपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

पुलिस मुख्यालय में प्रशासन के एडीजीपी विकास अरोड़ा को साइबर, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के एडीजीपी तथा राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एससीआरबी) के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। जिन पांच जिलों के पुलिस प्रमुखों का तबादला किया गया है उनमें करनाल के एसपी नरेंद्र बिजारणिया भी शामिल हैं, जिन्हें विशेष कार्य बल (एसटीएफ) का एसपी नियुक्त किया गया है। गुरुग्राम के पश्चिमी क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) करण गोयल को करनाल का एसपी बनाया गया है।

जंतर-मंतर पर बवाल ! छात्रा का आरोप- 'स्वतंत्र भारद्वाज ने फोड़ा पिता का सिर', राहुल गांधी बोले- 'अमित शाह की पुलिस क्या कर रही है?'

नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' के विरोध प्रदर्शन के दौरान एक छात्रा के पिता पर हुए हमले का मामला अब बड़े राजनीतिक विवाद में बदल गया है। प्रदर्शनकारी छात्रा निशु आजाद ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज पर अपने पिता का सिर फोड़ने का गंभीर आरोप लगाया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस पर ढिलाई का आरोप लगाते हुए छात्रा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से न्याय की गुहार लगाई है, जिसके बाद कांग्रेस और केंद्र सरकार आमने-सामने आ गए हैं। निशु ने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस भारद्वाज के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रही है और उसने प्राथमिकी तक दर्ज नहीं की है। उन्होंने माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक मिनट का वीडियो भी पोस्ट किया और लोकसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) राहुल गांधी से मदद की अपील की। उन्होंने यह भी दावा

किया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें भारद्वाज उनके पिता पर हमला करते हुए दिख रहे हैं। अपने वीडियो में निशु ने कहा कि भारद्वाज जैसे लोगों को कानून-व्यवस्था का कोई डर नहीं है और वे सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए और कांग्रेस सांसद से मदद और न्याय दिलाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, "ऋक्षक्रतुरंत दर्ज होनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस कार्रवाई करने में नाकाम रही है। डेढ़ महीने से ज्यादा समय हो गया है और पुलिस हमारी मदद नहीं कर रही है। मुझे दिल्ली पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है। इसलिए, मैं राहुल गांधी जी से न्याय दिलाने में मदद की अपील करती हूँ।" राहुल गांधी ने मदद का भरोसा दिया निशु के वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि निशु को घबराने की जरूरत नहीं है। उनके एक्स पोस्ट का ज़िक्र करते हुए गांधी ने कहा कि निशु को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उन्होंने छात्रों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई थी। उन्होंने सीजेपी कार्यकर्ता को भरोसा दिलाया कि वह अकेली नहीं हैं

जन्माष्टमी पर पीएम मोदी ने की मंगलकामना, भगवान श्रीकृष्ण को बताया दिव्यता का प्रतीक

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण को दिव्यता का साक्षात स्वरूप बताते हुए कहा कि उनके दिव्य संदेशों में निःस्वार्थ कर्म की अद्भुत प्रेरणा निहित है, जिसने मानवता का निरंतर मार्गदर्शन किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कई पोस्ट साझा करते हुए भगवान श्रीकृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की और कामना की कि जन्माष्टमी का यह पावन अवसर सभी के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति का संचार करे। भगवान श्रीकृष्ण के संदेशों से मिलती है निःस्वार्थ कर्म की प्रेरणा प्रधानमंत्री ने एक्स पर साझा पोस्ट में लिखा, आप सभी को जन्माष्टमी की अनेकानेक शुभकामनाएं। भगवान श्रीकृष्ण के दिव्य संदेशों में निःस्वार्थ कर्म की अद्भुत प्रेरणा निहित है, जिसने मानवता का निरंतर मार्गदर्शन किया है। उनकी भक्ति और उपासना को समर्पित यह पावन अवसर हर किसी के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति का संचार करे, यही कामना है। जय श्रीकृष्ण! प्रधानमंत्री ने जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति और उनके जीवन संदेशों को मानवता के लिए प्रेरणादायी बताया। सुभाषित के जरिए भगवान श्रीकृष्ण को किया नमन पीएम नरेंद्र मोदी ने भगवान श्रीकृष्ण को समर्पित एक सुभाषित भी साझा किया।

उन्होंने लिखा, वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्। देवकीपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्॥ इस सुभाषित का अर्थ है कि वसुदेव के पुत्र, कंस और चाणूर का संहार करने वाले, माता देवकी को परम आनंद देने वाले, दिव्यता के साक्षात स्वरूप और जगद्गुरु भगवान श्रीकृष्ण को प्रणाम किया जाता है।

दिल्ली में अचानक बदला मौसम, घने बादल और तेज बारिश से मिली राहत; जानें अगले 3 दिन कैसा रहेगा मौसम

नई दिल्ली: दिल्ली और आसपास के इलाकों में शुक्रवार को अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए रहे और कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई। बारिश और तेज हवाओं ने लोगों को गर्मी और उमस से राहत दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली के साथ नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में गरज-चमक, तेज हवाओं और मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने 4 और 5 सितंबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि, बारिश के चलते ऑफिस टाइम के दौरान दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन सकती है। इससे कई इलाकों में ट्रैफिक जाम की समस्या भी बढ़ने की आशंका है। दिल्ली में आज कितना रहेगा तापमान? मौसम विभाग के मुताबिक, 4 सितंबर को दिल्ली में पूरे दिन बादल छाए रहेंगे और शाम तक कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री

सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सुबह दिल्ली के अलग-अलग मौसम केंद्रों पर तापमान में भी अंतर देखने को मिला। सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री, लोधी रोड में 27.6 डिग्री, आया नगर में 27 डिग्री, पालम में 25.5 डिग्री और रिज में 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 5 सितंबर को भी बारिश और बादलों का दौर जारी रहने की संभावना है। इस दिन अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं, 6 सितंबर से मौसम में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिलेगा। 7 से 9 सितंबर के बीच तापमान में फिर बढ़ोतरी होने की संभावना है। बारिश से दिल्ली-एनसीआर की हवा भी हुई साफ बारिश और तेज हवाओं का असर दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता पर भी देखने को मिला है। बारिश ने हवा में मौजूद धूल और प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद की है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली का औसत अदक 74 दर्ज किया गया, जो 'संतोषजनक' श्रेणी में आता है। दिल्ली के आया नगर में अदक 49 और मथुरा रोड पर 47 दर्ज किया गया। वहीं, गाजियाबाद के इंदिरापुरम में AQI 36 और नोएडा के सेक्टर-62 में 50 रहा। इन इलाकों में हवा की गुणवत्ता 'अच्छी' श्रेणी में रही।

कार्यालय ग्राम पंचायत धनोरी अहीर विकास खंड जोया जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 04.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत धनौरी अहीर विकासखंड जोया जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 04.09.2026 से 11.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 11.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मशियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	
45	वाटर स्टोरेज टैंक	प्रति नग	
46	पत्थर रोड़ी 40 एम०एम०	प्रति घन मी०	
47	अन्य सामग्री	प्रति घन मी०	
48	कम्पलीट कार्य	वर्ग मी०/घन मी०/नग	
49	अतिरिक्त कक्ष केन्द्र (CSC)		
50	अन्त्येष्टि स्थल		
51	पुस्तकालय		
52	सीमेंट बेंच		
53	लाइट		
54	डस्टबिन		

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत धनोरी अहीर
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

सचिव, धनोरी अहीर
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत श्यामपुर विकास खंड जोया जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 04.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत श्यामपुर विकासखंड जोया जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 04.09.2026 से 11.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 11.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मशियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	
45	वाटर स्टोरेज टैंक	प्रति नग	
46	पत्थर रोड़ी 40 एम०एम०	प्रति घन मी०	
47	अन्य सामग्री	प्रति घन मी०	
48	कम्पलीट कार्य	वर्ग मी०/घन मी०/नग	
49	अतिरिक्त कक्ष केन्द्र (CSC)		
50	अन्त्येष्टि स्थल		
51	पुस्तकालय		
52	सीमेंट बेंच		
53	लाइट		
54	डस्टबिन		

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत श्यामपुर
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

सचिव, श्यामपुर
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत माली खेड़ा विकास खंड जोया जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 04.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत माली खेड़ा विकासखंड जोया जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 04.09.2026 से 11.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 11.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मशियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	
45	वाटर स्टोरेज टैंक	प्रति नग	
46	पत्थर रोड़ी 40 एम०एम०	प्रति घन मी०	
47	अन्य सामग्री	प्रति घन मी०	
48	कम्पलीट कार्य	वर्ग मी०/घन मी०/नग	
49	अतिरिक्त कक्ष केन्द्र (CSC)		
50	अन्त्येष्टि स्थल		
51	पुस्तकालय		
52	सीमेंट बेंच		
53	लाइट		
54	डस्टबिन		

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत माली खेड़ा
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

सचिव, माली खेड़ा
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत शेखुपुरा माफी विकास खंड जोया जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 04.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत शेखुपुरा माफी विकासखंड जोया जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 04.09.2026 से 11.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 11.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मशियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	
45	वाटर स्टोरेज टैंक	प्रति नग	
46	पत्थर रोड़ी 40 एम०एम०	प्रति घन मी०	
47	अन्य सामग्री	प्रति घन मी०	
48	कम्पलीट कार्य	वर्ग मी०/घन मी०/नग	
49	अतिरिक्त कक्ष केन्द्र (CSC)		
50	अन्त्येष्टि स्थल		
51	पुस्तकालय		
52	सीमेंट बेंच		
53	लाइट		
54	डस्टबिन		

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत शेखुपुरा माफी
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

सचिव, शेखुपुरा माफी
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत ककराली विकास खंड जोया जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 04.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत ककराली विकासखंड जोया जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 04.09.2026 से 11.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 11.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मशियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	
45	वाटर स्टोरेज टैंक	प्रति नग	
46	पत्थर रोड़ी 40 एम०एम०	प्रति घन मी०	
47	अन्य सामग्री	प्रति घन मी०	
48	कम्पलीट कार्य	वर्ग मी०/घन मी०/नग	
49	अतिरिक्त कक्ष केन्द्र (CSC)		
50	अन्त्येष्टि स्थल		
51	पुस्तकालय		
52	सीमेंट बेंच		
53	लाइट		
54	डस्टबिन		

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायतक कराली
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

सचिव, ककराली
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत मुबारकपुर नूरी विकास खंड जोया जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 04.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत मुबारकपुर नूरी विकासखंड जोया जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 04.09.2026 से 11.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 11.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मशियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	
45	वाटर स्टोरेज टैंक	प्रति नग	
46	पत्थर रोड़ी 40 एम०एम०	प्रति घन मी०	
47	अन्य सामग्री	प्रति घन मी०	
48	कम्पलीट कार्य	वर्ग मी०/घन मी०/नग	
49	अतिरिक्त कक्ष केन्द्र (CSC)		
50	अन्त्येष्टि स्थल		
51	पुस्तकालय		
52	सीमेंट बेंच		
53	लाइट		
54	डस्टबिन		

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत मुबारकपुर नूरी
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

सचिव, मुबारकपुर नूरी
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत खेया माफी विकास खंड जोया जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 04.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत खेया माफी विकासखंड जोया जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 04.09.2026 से 11.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 11.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मशियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	
45	वाटर स्टोरेज टैंक	प्रति नग	
46	पत्थर रोड़ी 40 एम०एम०	प्रति घन मी०	
47	अन्य सामग्री	प्रति घन मी०	
48	कम्पलीट कार्य	वर्ग मी०/घन मी०/नग	
49	अतिरिक्त कक्ष केन्द्र (CSC)		
50	अन्त्येष्टि स्थल		
51	पुस्तकालय		
52	सीमेंट बेंच		
53	लाइट		
54	डस्टबिन		

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत खेया माफी
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

सचिव, खेया माफी
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत हसनपुर कला विकास खंड जोया जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 04.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत हसनपुर कला विकासखंड जोया जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 04.09.2026 से 11.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 11.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मशियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	
45	वाटर स्टोरेज टैंक	प्रति नग	
46	पत्थर रोड़ी 40 एम०एम०	प्रति घन मी०	
47	अन्य सामग्री	प्रति घन मी०	
48	कम्पलीट कार्य	वर्ग मी०/घन मी०/नग	
49	अतिरिक्त कक्ष केन्द्र (CSC)		
50	अन्त्येष्टि स्थल		
51	पुस्तकालय		
52	सीमेंट बेंच		
53	लाइट		
54	डस्टबिन		

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत हसनपुर कला
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

सचिव, हसनपुर कला
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत कूबी विकास खंड जोया जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 04.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत कूबी विकासखंड जोया जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 04.09.2026 से 11.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 11.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	
45	वाटर स्टोरेज टैंक	प्रति नग	
46	पत्थर रोड़ी 40 एम०एम०	प्रति घन मी०	
47	अन्य सामग्री	प्रति घन मी०	
48	कम्पलीट कार्य	वर्ग मी०/घन मी०/नग	
49	अतिरिक्त कक्ष केन्द्र (CSC)		
50	अन्त्येष्टि स्थल		
51	पुस्तकालय		
52	सीमेंट बेंच		
53	लाइट		
54	डस्टबिन		

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत कूबी
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

सचिव, कूबी
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत गफ्फारपुर विकास खंड जोया जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 04.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत गफ्फारपुर विकासखंड जोया जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 04.09.2026 से 11.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 11.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	
45	वाटर स्टोरेज टैंक	प्रति नग	
46	पत्थर रोड़ी 40 एम०एम०	प्रति घन मी०	
47	अन्य सामग्री	प्रति घन मी०	
48	कम्पलीट कार्य	वर्ग मी०/घन मी०/नग	
49	अतिरिक्त कक्ष केन्द्र (CSC)		
50	अन्त्येष्टि स्थल		
51	पुस्तकालय		
52	सीमेंट बेंच		
53	लाइट		
54	डस्टबिन		

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत गफ्फारपुर
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

सचिव, गफ्फारपुर
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत अटेरना विकास खंड जोया जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 04.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत अटेरना विकासखंड जोया जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 04.09.2026 से 11.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 11.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	
45	वाटर स्टोरेज टैंक	प्रति नग	
46	पत्थर रोड़ी 40 एम०एम०	प्रति घन मी०	
47	अन्य सामग्री	प्रति घन मी०	
48	कम्पलीट कार्य	वर्ग मी०/घन मी०/नग	
49	अतिरिक्त कक्ष केन्द्र (CSC)		
50	अन्त्येष्टि स्थल		
51	पुस्तकालय		
52	सीमेंट बेंच		
53	लाइट		
54	डस्टबिन		

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत अटेरना
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

सचिव, अटेरना
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत सूदनपुर विकास खंड जोया जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 04.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत सूदनपुर विकासखंड जोया जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 04.09.2026 से 11.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 11.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	
45	वाटर स्टोरेज टैंक	प्रति नग	
46	पत्थर रोड़ी 40 एम०एम०	प्रति घन मी०	
47	अन्य सामग्री	प्रति घन मी०	
48	कम्पलीट कार्य	वर्ग मी०/घन मी०/नग	
49	अतिरिक्त कक्ष केन्द्र (CSC)		
50	अन्त्येष्टि स्थल		
51	पुस्तकालय		
52	सीमेंट बेंच		
53	लाइट		
54	डस्टबिन		

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत सूदनपुर
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

सचिव, सूदनपुर
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत मंगूपुरा विकास खंड जोया जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 04.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत मंगूपुरा विकासखंड जोया जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 04.09.2026 से 11.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 11.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	
45	वाटर स्टोरेज टैंक	प्रति नग	
46	पत्थर रोड़ी 40 एम०एम०	प्रति घन मी०	
47	अन्य सामग्री	प्रति घन मी०	
48	कम्पलीट कार्य	वर्ग मी०/घन मी०/नग	
49	अतिरिक्त कक्ष केन्द्र (CSC)		
50	अन्त्येष्टि स्थल		
51	पुस्तकालय		
52	सीमेंट बेंच		
53	लाइट		
54	डस्टबिन		

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत मंगूपुरा
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

सचिव, मंगूपुरा
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत श्योनाली विकास खंड जोया जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 04.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत श्योनाली विकासखंड जोया जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 04.09.2026 से 11.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 11.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	
45	वाटर स्टोरेज टैंक	प्रति नग	
46	पत्थर रोड़ी 40 एम०एम०	प्रति घन मी०	
47	अन्य सामग्री	प्रति घन मी०	
48	कम्पलीट कार्य	वर्ग मी०/घन मी०/नग	
49	अतिरिक्त कक्ष केन्द्र (CSC)		
50	अन्त्येष्टि स्थल		
51	पुस्तकालय		
52	सीमेंट बेंच		
53	लाइट		
54	डस्टबिन		

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत श्योनाली
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

सचिव, श्योनाली
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत हरियाना विकास खंड जोया जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 04.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत हरियाना विकासखंड जोया जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 04.09.2026 से 11.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 11.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	
45	वाटर स्टोरेज टैंक	प्रति नग	
46	पत्थर रोड़ी 40 एम०एम०	प्रति घन मी०	
47	अन्य सामग्री	प्रति घन मी०	
48	कम्पलीट कार्य	वर्ग मी०/घन मी०/नग	
49	अतिरिक्त कक्ष केन्द्र (CSC)		
50	अन्त्येष्टि स्थल		
51	पुस्तकालय		
52	सीमेंट बेंच		
53	लाइट		
54	डस्टबिन		

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत हरियाना
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

सचिव, हरियाना
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत फत्तेपुर माफी विकास खंड जोया जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 04.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत फत्तेपुर माफी विकासखंड जोया जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 04.09.2026 से 11.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 11.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	
45	वाटर स्टोरेज टैंक	प्रति नग	
46	पत्थर रोड़ी 40 एम०एम०	प्रति घन मी०	
47	अन्य सामग्री	प्रति घन मी०	
48	कम्पलीट कार्य	वर्ग मी०/घन मी०/नग	
49	अतिरिक्त कक्ष केन्द्र (CSC)		
50	अन्त्येष्टि स्थल		
51	पुस्तकालय		
52	सीमेंट बेंच		
53	लाइट		
54	डस्टबिन		

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत फत्तेपुर माफी
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

सचिव, फत्तेपुर माफी
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

संपादकीय

तुरत-फुरत का कारोबार

हाल के वर्षों में देश में खरीदारी का परिदृश्य, ई-कॉमर्स के चलते पूरी तरह बदल गया है। कह सकते हैं कि इसकी अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण दौर में पहुंच रही है। जिसकी पुष्टि हाल ही में सामने आई शोध परामर्शदात्री ह्वाइन्फिसमह्व की नवीनतम रिपोर्ट में उजागर होती है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में इस क्षेत्र में वर्ष 2024 में होने वाले 125 अरब डॉलर के कारोबार के मुकाबले साल 2030 तक इसके लगभग तीन गुना यानी 345 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। जो ई-कॉमर्स के क्षेत्र में आ रहे बदलावकारी परिदृश्य को ही दशार्ता है। निस्संदेह, इस कारोबार विस्तार में बदलाव का यह मापदंड प्रभावशाली है, लेकिन इसकी रफ्तार के साथ इसका लंबे समय तक टिके रहना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसमें दो राय नहीं कि देश में क्विक कॉमर्स ग्रोथ के एक महत्वपूर्ण इंजन के तौर पर उभर रहा है। आज स्थिति यह है कि इसके नेटवर्क देश के 475 से अधिक शहरों तक पहुंच चुके हैं। जो यह दशार्ता है कि दैनिक उपभोग की वस्तुओं की तेजी से डिलीवरी अब महज बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं रह गई है। दरअसल, यह बदलाव जनसंख्या के स्वरूप के अलावा भौगोलिक स्तर पर भी हो रहा है। नई पीढ़ी इस तुरत-फुरत खरीदारी की मुरीद है। सर्वे बताते हैं कि देश में ऑनलाइन खरीदारों में वह पीढ़ी काफी आगे है, जिसे आज जेन-जी के नाम से संबोधित किया जाता है। उसके पास सामान का ऑर्डर करने और उसे पाने में इंतजार करने का समय नहीं है। बताया जाता है कि ऑनलाइन खरीदारी में जेन-जी की भागीदारी लगभग एक तिहाई है। ऐसे में भरोसा किया जा रहा है कि इस दशक के अंत तक वे डिजिटल खर्च करने वाले सबसे बड़े ग्रुप बन जाएंगे। बाजार के जानकार मान रहे हैं कि ई-कॉमर्स की अगली लहर किसी सीमा तक छोटे शहरों, स्थानीय पसंद, स्थानीय भाषाओं में कंटेंट और सस्ते लॉजिस्टिक पर भी निर्भर करेगी। हालांकि, परंपरागत बाजार इसे अपने अस्तित्व के लिये बड़ी चुनौती मान रहा है। नई पीढ़ी के ग्राहक मोबाइल पर उत्पाद की कीमतें छानकर परंपरागत दुकानदारों से भाव-तौल करने में आगे हैं।

चिंतन-मनन

अहिंसा का आलोकध

वे सभी व्यक्ति अहिंसा की शीतल छाया में विश्राम पाने के लिए उत्सुक रहते हैं, जो सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं। अहिंसा का क्षेत्र व्यापक है। यह सूर्य के प्रकाश की भांति मानव मात्र और उससे भी आगे प्राणी मात्र के लिए अपेक्षित है। इसके बिना शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात केवल कल्पना बनकर रह जाती है। अहिंसा का आलोक जीवन की अक्षय संपदा है। यह संपदा जिन्हें उपलब्ध हो जाती है, वे नए इतिहास का सृजन करते हैं। वे उन बंधी-बंधाई परंपराओं से दूर हट जाते हैं, जिनकी सीमाएं हिंसा से स्पृष्ट होती हैं। परिस्थितिवाद का बहाना बनाकर वे हिंसा को प्रश्रय नहीं दे सकते। अहिंसा की चेतना विकसित होने के अनंतर ही व्यक्ति की मनोभूमिका विशद बन जाती है। वह किसी को कष्ट नहीं पहुंचा सकता। इसके विपरीत हिंसक व्यक्ति अपने हितों को विश्व-हित से अधिक मूल्य देता है। किंतु ऐसा व्यक्ति भी किसी को सताते समय स्वयं संतप्त हो जाता है। किसी को स्वायत्त बनाते समय उसकी अपनी स्वतंत्रता अपहत हो जाती है।

किसी पर अनुशासन थोपते समय वह स्वयं अपनी स्वाधीनता खो देता है। इसीलिए हिंसक व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट और समाहित नहीं रह सकता। उसकी हर प्रवृत्ति में एक खिंचाव-सा रहता है। वह जिन क्षणों में हिंसा से गुजरता है, एक प्रकार के आवेश से बेभान हो जाता है। आवेश का उपशम होते ही वह पछताता है, रोता है और संताप से भर जाता है। हिंसक व्यक्ति जिस क्षण अहिंसा के अनुभाव से परिचित होता है, वह उसकी ठंडी छांह पाने के लिए मचल उठता है। उसका मन बेचैन हो जाता है। फिर भी पूर्वोपात्त संस्कारों का अस्तित्व उसे बार-बार हिंसा की ओर धकेलता है। ये संस्कार जब सर्वथा क्षीण हो जाते हैं तब ही व्यक्ति अहिंसा के अनुत्तर पथ में पदन्यास करता है और स्वयं उससे संरक्षित होता हुआ अहिंसा का संरक्षक बन जाता है। अहिंसा के संरक्षक इस संसार के पथ-दर्शक बनते हैं और हिंसा, भय, संत्रास, अनिश्चय, संदेह तथा असंतोष की अरण्यानी में भटके हुए प्राणियों का उद्धार करते हैं।

आवश्यकता है

आवश्यकता है दैनिक सब का सपना समाचार पत्र को उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर व जिला स्तर पर संवाददाताओं की इच्छुक अभ्यर्थी संपर्क करें या व्हाट्सएप करें।

9456884327/8218179552

राष्ट्रपति विलियम का टाटा केमिकल्स को केन्या प्लांट बंद करने का आदेश

सनत जैन

केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूतो ने टाटा केमिकल्स कंपनी को केन्या के प्लांट को तुरंत बंद करने का आदेश दिया है। केन्या के राष्ट्रपति रूतो ने बड़े सख्त लेहजे में कहा है, उनका देश केन्या किसी का गुलाम नहीं है। उन्होंने टाटा केमिकल्स पर आरोप लगाया है कि वह इतने साल से केन्या में अपना प्लांट चला रही है, यहां से भारी पैसा कमा रही है लेकिन इस कंपनी ने केन्या के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे ऐसा लगे, टाटा केमिकल्स केन्या के विकास और जरूरतों की दिशा में अपने मुनाफे का एक हिस्सा केन्या पर खर्च कर रही हो। उन्होंने टाटा केमिकल्स के कामकाज पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा, क्या हम दूसरे देशों के या टाटा केमिकल्स के गुलाम हैं जो इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने टाटा केमिकल्स पर कार्यवाही के बाद अन्य कंपनियों को एक तरह से चेतावनी दे दी है। उनका संदेश साफ है, केन्या केवल मुनाफा कमाने का देश नहीं है। जो भी कंपनियां केन्या में काम कर रही हैं उन्हें अपने मुनाफे का एक हिस्सा केन्या की बेहतरी के लिए खर्च करना होगा। रोजगार के अवसर बढ़ाने होंगे। औद्योगिक विकास में अपनी भूमिका स्पष्ट करनी होगी। टाटा केमिकल्स का केन्या सरकार के साथ 100 साल का अनुबंध था। उस अनुबंध को तोड़ते हुए केन्या सरकार ने टाटा केमिकल्स को अपना कारोबार समेटने का अल्टीमेटम दे दिया है। राष्ट्रपति ने स्पष्ट शब्दों में कहा टाटा केमिकल्स ने स्थानीय औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने की दिशा में ना तो स्वयं कोई काम किया है ना ही सरकार को इसमें सहयोग दिया है। टाटा केमिकल्स को टाटा बाय-बाय करने के साथ ही उन्होंने दो अन्य कंपनियों को लाने का फैसला किया है। यह नई कंपनियां टाटा केमिकल्स के कारोबार के साथ-साथ औद्योगिक विकास में केन्या सरकार के साथ मिलकर काम करेंगी। जिस तरह से दुनिया के सारे देशों में वैश्विक व्यापार संधि के बाद बड़ी तेजी के साथ कारोबार बढ़ा है, आर्थिक मंदी और बेरोजगारी के इस दौर में सभी देश अपनी रणनीति बदल रहे हैं। जो विदेशी कंपनियां हैं यदि उनके देश से मुनाफा कमा रही हैं ऐसी स्थिति में उन्हें मुनाफे का एक हिस्सा जिस देश से वह मुनाफा कमा रही हैं उस पर खर्च करने की शर्त लगाना शुरू कर दी है। ताकि किसी भी देश का आर्थिक और सामाजिक शोषण कंपनियां ना कर सकें। केन्या जैसे देश ने इस मामले में पहल की है। सैकड़ो वर्षों का इतिहास है, अफ्रीका के देशों में जाकर यूरोप और अन्य देशों ने भारी कमाई की है। जिन देशों से वह कमाई कर रहे हैं वहां के लिए वह कुछ भी नहीं कर रहे हैं। केवल अफ्रीकी देशों का शोषण कर रहे हैं। इस स्थिति में अब अफ्रीकी देश काफी सजग हो गए हैं। वह अफ्रीका की संपदा और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जो भी कंपनियां वहां काम कर रही हैं उनके ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। यदि वह उसे देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए उनके साथ सहयोग करेंगे ऐसी स्थिति में वह कारोबार कर सकेंगे अन्यथा उन्होंने बड़ी-बड़ी कंपनियों को टाटा-टाटा बाय-बाय करने का तरीका ईजाद कर लिया है। सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है, आफ्रीकी देश कर्ज के जंजाल में फंसे बिना जिन देसी एवं विदेशी कंपनियों को कारोबार सौंप रहे हैं उसमें अफ्रीकी देश का नेतृत्व युवा पीढ़ी के पास है। वह इस मामले में ज्यादा सजग और आक्रामक है। भारत की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है। यहां बेरोजगारी भी सबसे ज्यादा है। ऐसी स्थिति में जब केन्या जैसे छोटे देश इस तरह की सोच रखते हैं ऐसी स्थिति में भारत जैसे देश यदि संपन्न देशों के पीछे और बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शर्तों पर उन्हें आने की अनुमति देते हैं। औद्योगिक निवेश के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें तरह-तरह की छूट दी जाती है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार के लिए यह एक आईना है। हमारी आबादी है। भारत में कारोबार की अन्य देशों की तुलना में ज्यादा संभावनाएं हैं, ऐसी स्थिति में भारत को भी आत्मविश्वास बनाना होगा।

निर्भया कांड के चौदह साल बाद भी महफूज नहीं है बेटियाँ

मनोज कुमार अग्रवाल

निर्भया रेप केस के करीब चौदह साल बाद भी दिल्ली में चलती बस में बलात्कार की हालिया घटना सामने आई है, जिसमें एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ नोएडा से दिल्ली के बीच एक चलती निजी स्लीपर बस में सामूहिक बलात्कार किया गया है । यह शर्मनाक वारदात बता रही है कि निर्भया कांड के बाद कानून व्यवस्था महिला सुरक्षा के लिए किए गए बड़े-बड़े दावे सख्त कानून और सुरक्षा के बढते बंदोबस्त सब हवा हवाई दावे मात्र है कानून व्यवस्था महिला सुरक्षा के लिहाज से आज भी हाशिये पर खाड़ी है।

दिल्ली में चलती बसों में होने वाले अपराधों का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसमें 2012 का निर्भया रेप मर्डर केस सबसे चर्चित वीभत्स मामला रहा। लेकिन निर्भया कांड के 14 साल बीत जाने के बाद भी इस तरह की वारदात की पुनरावृत्ति बता रही है कि अपराधी कल भी बेखौफ थे और आज भी बेखौफ है उन्हें कानून पुलिस अदालत किसी का तनिक भी भय नही है। मौजूदा वारदात में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की रहने वाली 11वीं कक्षा की एक 16 वर्षीय छात्रा रात के समय भारी बारिश के कारण ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर फंस गई थी। उसने एक निजी स्लीपर बस को हाथ देकर रोका, जिसने उसे नोएडा सेक्टर 63 छोड़ने की बात कही।बस में चढ़ने के बाद बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने किशोरी के साथ चलती बस में बलात्कार किया। यह बस करीब 47 किलोमीटर तक दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर दौड़ती रही और वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने पीड़िता को दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास रिंग रोड पर उतार दिया। बस के शीशों पर गहरे पर्दे लगे हुए थे, जो दिल्ली-एनसीआर में नियमों के खिलाफ हैं और इसी वजह से बाहर से किसी को अंदर की घटना दिखाई नहीं दी।कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन में पीड़िता द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद, दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से दोनों आरोपियों कुलदीप और संदीप को गिरफ्तार कर लिया और बस को फॉरेंसिक जांच के लिए जब्त कर लिया गया है।

यहां आपको यह भी याद दिला देना जरूरी है कि अभी मई 2026 में भी दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में एक निजी स्लीपर बस के भीतर एक महिला के साथ बलात्कार की घटना हुई थी। पीड़िता एक फैक्ट्री में काम करके घर लौट रही थी। बस स्टैंड के पास खड़े बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने महिला को जबरन बस के अंदर खींच लिया और वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में भी दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर बस को तिमारपुर पार्किंग क्षेत्र से बरामद किया था।

सवाल फिर वही ज्यो का त्यों है कि देश की राजधानी ही लड़कियों के लिए महफूज क्यों नहीं है? वह भी तब जबकि निर्भया के रेपिस्ट हत्यारे को फांसी की सजा सुनाई गई थी। आपको बता दें दिल्ली में चलती बस में बलात्कार की घटनाओं का जिक्र होने पर 16 दिसंबर 2012 की घटना सबसे भयावह मानी जाती है। दक्षिण दिल्ली के मुनिरका इलाके में एक 23 वर्षीय फिजियोथेरेपी छात्रा जिसका नाम बाद में निर्भया रखा गया अपने दोस्त के साथ एक निजी बस में चढ़ी थी। बस के चालक सहित 6 लोगों ने चलती बस में उसके साथ बेहद बर्बर तरीके से सामूहिक बलात्कार और जानलेवा हमला किया।पीड़िता की बाद में सिंगापुर के अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बाद पूरे देश में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए और कानून में कड़े बदलाव किए गए। मार्च 2020 में इस मामले के चार मुख्य दोषियों को तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी।यानि सख्त कानून और सजा भी अपराधियों को ऐसे घृणित अपराध से रोकने के लिए प्रभावी नहीं साबित हुआ है।

बेटी बचाओ अभियान के बावजूद बेटियों के विरुद्ध यौन अपराध चिंताजनक हद तक बढ़ गए हैं। हर आयु वर्ग की महिलाएं और बच्चियां इस अन्याय की शिकार बन रही हैं चंद वारदातों पर नजर डालिए

24 अगस्त को मुम्बई में खेल कोच एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता गणेश प्रभाकर देवरुखकर के विरुद्ध एक 16 वर्षीय छात्रा ने जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग देने के दौरान उसके शारीरिक शोषण के आरोप में शिकायत दर्ज करवाई। छात्रा का आरोप है कि घटना के दिन कोच ने उसे खींच कर अपनी गोद में बिठा लिया। उसने उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश की तो कोच ने पीछे से उसकी कमर पकड़ कर उससे छेड़छाड़ की।

24 अगस्त को पटियाला (पंजाब) में इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद एक छात्रा को धोखे से होटल में बुलाकर उससे बलात्कार करने के आरोप में पुलिस ने एक युवक के विरुद्ध केस दर्ज किया।24 अगस्त को ही पचमढ़ी (मध्य प्रदेश) में घूमने आई एक नाबालिगा के साथी को जीप से बांध कर उससे सामूहिक बलात्कार करने के आरोप में पुलिस ने तीन युवकों को गिरफ्तार किया।27 अगस्त को होशियारपुर (पंजाब) के गांव अरनियावाला शाहपुर के सरकारी मिडल स्कूल के हैडमास्टर अनुज वासुदेव को एक 12 वर्षीय छात्रा के यौन उत्पीड़न और तंग करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया। छात्रा के अनुसार उक्त अध्यापक उसके साथ अनुचित छेड़छाड़ करता और उसके शरीर को छूता था तथा किसी को बताने पर स्कूल से नाम काटने की धमकी देता था।

घटना के दिन आरोपी हैडमास्टर उसे जबरन अपनी गाड़ी में बिठाकर ले गया। रास्ते में गाड़ी रोक कर उसके मुंह में जबरन नशीली गोली डाल कर उससे बलात्कार करके उसे उसके घर के पीछे उतार कर चला गया।

31 अगस्त को ही बवाना (बाहरी उत्तरी दिल्ली) में एक निजी स्कूल की वैन के ड्राइवर विकास को स्कूल की एक 3 वर्षीय बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।पुलिस के अनुसार यह घटना 29 अगस्त को तब सामने आई जब बच्ची की मां ने उसके गुप्त अंगों पर चोट के निशान देखे। पूछने पर बच्ची ने अपनी मां को बुरे अंकल के बारे में बताया। स्कूल के सी.सी.टी.वी. की जांच करने पर पता चला कि आरोपी ने बाथरूम जाने के दौरान बच्ची का पीछा किया और बच्ची को चाकलेट देने के बहाने वहां उसका यौन शोषण किया।

31 अगस्त को ही रंगारैड्डी (तेलंगाना) के एक निजी अस्पताल की 21 वर्षीय नर्स से बलात्कार के बाद उसकी हत्या करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।

31 अगस्त को ही बरेली (उत्तर प्रदेश) में एक महिला से उसके पति के दोस्त ने नशीला पदार्थ पिलाकर बलात्कार कर डाला। पुलिस को दी रिपोर्ट में महिला ने कहा है कि आरोपी ने घटना की अश्लील वीडियो भी बना ली और उसे वायरल करने की धमकी देकर उसके जेवरात भी लूट लिए।और अब 31 अगस्त को ही उमरिया (मध्य प्रदेश) के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल के अध्यापक को 3 छात्राओं से छेड़छाड़ करने और उन्हें चाकलेट देने के बहाने अश्लील वीडियो दिखाने के आरोप में निलम्बित किया गया। अध्यापक ने लड़कियों को धमकी दी थी कि यदि उन्होंने इस बारे किसी को बताया तो वह उन्हें डंडे से पीटेगा।

प्रतिदिन हो रहीं महिलाओं और बच्चियों के बलात्कार, यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ आदि की घटनाओं ने देश में नारी जाति की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं, अतः इस तरह के सभी मामलों का संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द इनका फैसला करके दोषियों को कठोरतम दंड देने की जरूरत है, तभी इस बुराई पर रोक लग सकेगी। दिल्ली-एनसीआर में सार्वजनिक और निजी परिवहन की सुरक्षा पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। पर्दों और काली फिल्मों पर प्रतिबंध दिल्ली में चलती कमर्शियल बसों में खिड़कियों पर पर्दे या काली फिल्म लगाना पूरी तरह अवैध है, फिर भी स्लीपर बसों में इनका धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है। रात के समय अंतर-राज्यीय और निजी स्लीपर बसों की पर्याप्त चेकिंग न होना इन अपराधियों को बढ़ावा देता है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं पिछले 40 वर्ष से लेखन और पत्रकारिता से जुड़े हैं)

हीरे से लेकर हथियारों तक, बेल्जियम के साथ मिलकर मोदी ने यूरोप के लिए बनाया बड़ा गेम प्लान

भारत और बेल्जियम के रिश्तों की सबसे चमकदार पहचान हीरे रहे हैं। एंटवर्प से मुंबई और सूरत तक फैला कारोबार दोनों देशों को जोड़ता रहा है। लेकिन अब यह रिश्ता सिर्फ चमकते हीरों तक सीमित नहीं रहने वाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर की नई दिल्ली में हुई मुलाकात ने भारत-बेल्जियम संबंधों को रक्षा, सेमीकंडक्टर, हरित ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, समुद्री सुरक्षा, अंतरिक्ष, साइबर सुरक्षा और निवेश जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक विस्तार देने का स्पष्ट रोडमैप तैयार कर दिया है।

बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर की 2 से 4 सितंबर की भारत यात्रा और दोनों देशों के बीच हुए समझौते इस बात का संकेत हैं कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत यूरोप के साथ अपने संबंधों को नई सामरिक गहराई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि भारत अब द्विपक्षीय संबंधों को अलग-अलग घटनाओं के रूप में नहीं, बल्कि व्यापार, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और वैश्विक राजनीति को जोड़कर एक व्यापक रणनीतिक ढांचे में आगे बढ़ा रहा है।

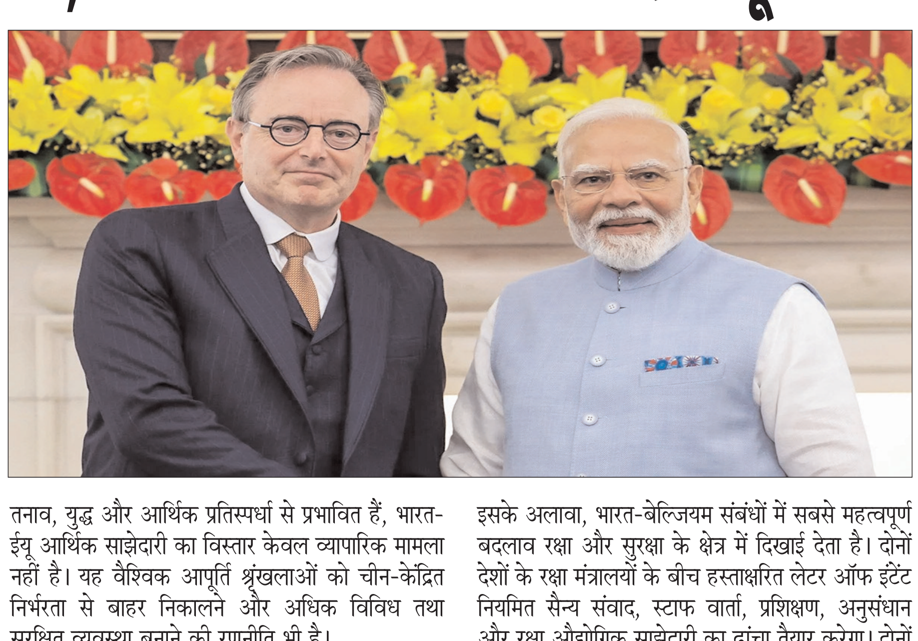

इतिहास की साझी विरासत, भविष्य की रणनीतिक साझेदारी

हम आपको बता दें कि भारत-बेल्जियम संबंधों की जड़ें गहरी हैं। प्रथम विश्व युद्ध में फ्लैंडर्स के युद्धक्षेत्रों में 9,000 से अधिक भारतीय सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। बेल्जियम स्वतंत्र भारत के साथ 1947 में राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले शुरूआती यूरोपीय देशों में शामिल था। अब 2027 में दोनों देश अपने राजनयिक संबंधों की 80वीं वर्षगांठ मनाएंगे। प्रधानमंत्री डी वेवर ने भारत यात्रा की शुरूआत राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देकर की। यह प्रतीकात्मक घटना उस रिश्ते की ओर इशारा करती है जिसकी बुनियाद लोकतंत्र, कानून के शासन, बहुलवाद और आपसी विश्वास पर टिकी है।

लेकिन इस बार इतिहास से अधिक महत्वपूर्ण भविष्य है। 15 जुलाई 2026 को ब्रुसेल्स में शुरू हुआ पहला भारत-बेल्जियम रणनीतिक संवाद अब दोनों देशों के संबंधों को नियमित और व्यापक संस्थागत आधार देगा। इसके तहत व्यापार और निवेश से लेकर हरित परिवर्तन, प्रौद्योगिकी, संपर्क, रक्षा और सुरक्षा तक सहयोग के लिए एक स्थायी मंच तैयार किया गया है।

भारत-ईयू समीकरण में बेल्जियम की बढ़ती अहमियत

इस यात्रा का सबसे बड़ा वैश्विक महत्व भारत-यूरोपीय संघ संबंधों से जुड़ा है। जनवरी 2026 में भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता का सफल निष्कर्ष एक ऐतिहासिक घटनाक्रम माना जा रहा है। मोदी और डी वेवर ने इसके शीघ्र क्रियान्वयन पर जोर दिया है। भारत और यूरोपीय संघ दुनिया की दो बड़ी लोकतांत्रिक और आर्थिक शक्तियां हैं। ऐसे समय में जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं भू-राजनीतिक तनाव, युद्ध और आर्थिक प्रतिस्पर्धा से प्रभावित हैं, भारत-ईयू आर्थिक साझेदारी का विस्तार केवल व्यापारिक मामला नहीं है। यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को चीन-केंद्रित निर्भरता से बाहर निकालने और अधिक विविध तथा सुरक्षित व्यवस्था बनाने की रणनीति भी है।

बेल्जियम इस समीकरण में विशेष भूमिका निभा सकता है। एंटवर्प यूरोप के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक और बंदरगाह केंद्रों में है। दूसरी ओर भारत हिंद महासागर क्षेत्र में एक विशाल बाजार और तेजी से उभरती आर्थिक शक्ति है। दोनों देशों का सहयोग यूरोप और भारत के बीच एक नए आर्थिक एवं लॉजिस्टिक गलियारे की नींव बन सकता है।

पांच साल में व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य

दोनों प्रधानमंत्रियों ने अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए इंडिया-बेल्जियम इन्वेस्टमेंट फास्ट-ट्रैक मैकेनिज्म शुरू किया गया है, जो निवेश संबंधी बाधाओं को दूर करने और कंपनियों को सहायता देने का काम करेगा। बेल्जियम की संप्रभु निवेश संस्था एसएफपीआईएम और भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानि एनआईआईएफ के बीच सहयोग से एक संभावित भारत-बेल्जियम आर्थिक और निवेश गलियारे की दिशा में भी काम होगा। सहयोग के नए क्षेत्रों की सूची बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें सेमीकंडक्टर, फार्मास्यूटिकल्स, जैव प्रौद्योगिकी, रसायन, रक्षा विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिजों की रिफाइनिंग और रिसाइक्लिंग, परमाणु ऊर्जा और उन्नत विनिर्माण शामिल हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि बेल्जियम की सेमीकंडक्टर विशेषज्ञता और भारत का विशाल औद्योगिक पैमाना एक-दूसरे के पूरक हैं। बेल्जियम के विश्वस्तरीय आईमेक संस्थान को भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से जोड़ने की पहल भविष्य में तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

रक्षा सहयोगः रिश्तों का सबसे बड़ा रणनीतिक बदलाव

इसके अलावा, भारत-बेल्जियम संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में दिखाई देता है। दोनों देशों के रक्षा मंत्रालयों के बीच हस्ताक्षरित लेटर ऑफ इंटेंट नियमित सैन्य संवाद, स्टाफ वार्ता, प्रशिक्षण, अनुसंधान और रक्षा औद्योगिक साझेदारी का ढांचा तैयार करेगा। दोनों देश रक्षा सह-विकास और सह-उत्पादन की संभावनाएं तलाशेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्नत रक्षा उपकरणों, विशेष रूप से जोरावर टैंक जैसे क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया।

साथ ही बेल्जियम का नई दिल्ली में रक्षा अताशे नियुक्त करना और भारत का ब्रुसेल्स में स्थायी रक्षा अताशे नियुक्त करने का फैसला रिश्तों की बदलती प्राथमिकताओं का स्पष्ट संकेत है। बेल्जियम का युद्धपोत एलईओपोल्ड 1 नवंबर 2026 को भारत आएगा। यह मात्र नौसैनिक दौरा नहीं, बल्कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते सहयोग का संकेत है।

इसके अलावा, भारत और बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ भी मजबूत साझा रुख अपनाया है। बेल्जियम ने पहलगाम में 2025 के आतंकी हमले की निंदा दोहराई और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ एकजुटता दिखाई। दोनों देशों ने आतंकवाद, उसके सुरक्षित ठिकानों और वित्तपोषण के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया।

वहीं, सीबीआई और बेल्जियम की संघीय पुलिस के बीच समझौता संगठित अपराध और साइबर अपराध के खिलाफ सहयोग को नई ताकत देगा। सूचना साझा करने, भगोड़ों का पता लगाने और क्षमता निर्माण में यह समझौता महत्वपूर्ण होगा।

ग्रीन हाइड्रोजन से समुद्री शक्ति तक

साथ ही हरित ऊर्जा सहयोग भी इस यात्रा की बड़ी उपलब्धि है। नवीकरणीय ऊर्जा पर नए एमओयू के तहत ग्रीन हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण, अपतटीय पवन ऊर्जा, बायो-एनर्जी और पंप्ड स्टोरेज में सहयोग बढ़ेगा। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन से लेकर परिवहन, भंडारण और अंतिम उपयोग तक पूरी वैल्यू चेन में साझेदारी की योजना बनाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में विकसित हो रहे विशाल ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट का भी उल्लेख किया।

समुद्री और बंदरगाह सहयोग भी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एंटवर्प और फ्लैंडर्स की बंदरगाह विशेषज्ञता, भारत के तेजी से विकसित होते बंदरगाह नेटवर्क और हिंद महासागर में भारत की भूमिका मिलकर नई संभावनाएं पैदा कर सकती हैं। लॉजिस्टिक्स, ड्रेजिंग, बंदरगाह विकास और अपतटीय पवन ऊर्जा में बेल्जियम की विशेषज्ञता भारत के लिए उपयोगी हो सकती है।

वैश्विक राजनीति में साझा संदेश

इसके अलावा, दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की जरूरत पर जोर दिया। बेल्जियम ने एक बार फिर विस्तारित और सुधारित सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। दोनों देशों ने एक-दूसरे की अस्थायी सदस्यता की उम्मीदवारी का भी समर्थन किया।

यूक्रेन और पश्चिम एशिया पर दोनों देशों ने संवाद और कूटनीति के जरिए न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की आवश्यकता पर जोर दिया। यह भारत की उस विदेश नीति के अनुरूप है जो किसी सैन्य गुट का हिस्सा बनने के बजाय संवाद, बहुपक्षवाद और रणनीतिक स्वायत्तता को प्राथमिकता देती है।

मोदी की कूटनीति का बड़ा संदेश

देखा जाये तो भारत-बेल्जियम संबंधों का नया अध्याय प्रधानमंत्री मोदी की व्यापक कूटनीतिक सोच को दशार्ता है। मोदी ने पुराने हीरा व्यापार को आधुनिक रणनीतिक साझेदारी में बदलने का प्रयास किया है। अब एंटवर्प-मुंबई-सूरत का संबंध सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, रक्षा उत्पादन, समुद्री संपर्क और निवेश से जुड़ रहा है। यही इस यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि भारत ने यूरोप के साथ अपने संबंधों को केवल बाजार तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें सुरक्षा, तकनीक और भू-राजनीति से जोड़ दिया है।

प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति की सफलता इस बात में है कि भारत आज एक साथ अमेरिका, यूरोप, रूस और ग्लोबल साउथ के साथ अपने हितों के आधार पर संबंधों को आगे बढ़ा रहा है। बेल्जियम के साथ यह नई साझेदारी भी उसी संतुलित और बहुआयामी कूटनीति का उदाहरण है।

बहरहाल, हीरों की चमक से शुरू हुआ भारत-बेल्जियम संबंध अब हाई-टेक, हरित ऊर्जा और रक्षा सहयोग की नई रोशनी में प्रवेश कर रहा है। यदि तय समझौते जमीन पर उतरे, तो यह साझेदारी केवल दो देशों के रिश्तों को नहीं, बल्कि भारत-यूरोप के पूरे रणनीतिक समीकरण को नई दिशा दे सकती है।

कार्यालय ग्राम पंचायत दरियापुर विकास खंड जोया जनपद अमरोहा

पत्रांक: मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांक: 04.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत दरियापुर विकासखंड जोया जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 04.09.2026 से 11.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 11.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	
45	वाटर स्टोरेज टैंक	प्रति नग	
46	पत्थर रोड़ी 40 एम०एम०	प्रति घन मी०	
47	अन्य सामग्री	प्रति घन मी०	
48	कम्पलीट कार्य	वर्ग मी०/घन मी०/नग	
49	अतिरिक्त कक्ष केन्द्र (CSC)		
50	अन्त्येष्टि स्थल		
51	पुस्तकालय		
52	सीमेंट बेंच		
53	लाइट		
54	डस्टबिन		

नोट-01- यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत दरियापुर
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

सचिव, दरियापुर
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत करहट उर्फ रामहट विकास खंड जोया जनपद अमरोहा

पत्रांक: मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांक: 04.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत करहट उर्फ रामहट विकासखंड जोया जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 04.09.2026 से 11.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 11.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	
45	वाटर स्टोरेज टैंक	प्रति नग	
46	पत्थर रोड़ी 40 एम०एम०	प्रति घन मी०	
47	अन्य सामग्री	प्रति घन मी०	
48	कम्पलीट कार्य	वर्ग मी०/घन मी०/नग	
49	अतिरिक्त कक्ष केन्द्र (CSC)		
50	अन्त्येष्टि स्थल		
51	पुस्तकालय		
52	सीमेंट बेंच		
53	लाइट		
54	डस्टबिन		

नोट-01- यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत करहट उर्फ रामहट
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

सचिव, करहट उर्फ रामहट
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत कपासी विकास खंड जोया जनपद अमरोहा

पत्रांक: मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांक: 04.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत कपासी विकासखंड जोया जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 04.09.2026 से 11.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 11.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	
45	वाटर स्टोरेज टैंक	प्रति नग	
46	पत्थर रोड़ी 40 एम०एम०	प्रति घन मी०	
47	अन्य सामग्री	प्रति घन मी०	
48	कम्पलीट कार्य	वर्ग मी०/घन मी०/नग	
49	अतिरिक्त कक्ष केन्द्र (CSC)		
50	अन्त्येष्टि स्थल		
51	पुस्तकालय		
52	सीमेंट बेंच		
53	लाइट		
54	डस्टबिन		

नोट-01- यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत कपासी
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

सचिव, कपासी
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत भवालपुर माफी विकास खंड जोया जनपद अमरोहा

पत्रांक: मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांक: 04.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत भवालपुर माफी-विकासखंड जोया जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 04.09.2026 से 11.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 11.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	
45	वाटर स्टोरेज टैंक	प्रति नग	
46	पत्थर रोड़ी 40 एम०एम०	प्रति घन मी०	
47	अन्य सामग्री	प्रति घन मी०	
48	कम्पलीट कार्य	वर्ग मी०/घन मी०/नग	
49	अतिरिक्त कक्ष केन्द्र (CSC)		
50	अन्त्येष्टि स्थल		
51	पुस्तकालय		
52	सीमेंट बेंच		
53	लाइट		
54	डस्टबिन		

नोट-01- यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत भवालपुर माफी
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

सचिव, भवालपुर माफी
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत चौधरपुर विकास खंड जोया जनपद अमरोहा

पत्रांक: मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांक: 04.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत चौधरपुर विकासखंड जोया जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 04.09.2026 से 11.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 11.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	
45	वाटर स्टोरेज टैंक	प्रति नग	
46	पत्थर रोड़ी 40 एम०एम०	प्रति घन मी०	
47	अन्य सामग्री	प्रति घन मी०	
48	कम्पलीट कार्य	वर्ग मी०/घन मी०/नग	
49	अतिरिक्त कक्ष केन्द्र (CSC)		
50	अन्त्येष्टि स्थल		
51	पुस्तकालय		
52	सीमेंट बेंच		
53	लाइट		
54	डस्टबिन		

नोट-01- यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत चौधरपुर
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

सचिव, चौधरपुर
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत बरखेड़ा राजपूत विकास खंड जोया जनपद अमरोहा

पत्रांक: मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांक: 04.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत बरखेड़ा राजपूत विकासखंड जोया जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 04.09.2026 से 11.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 11.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	
45	वाटर स्टोरेज टैंक	प्रति नग	
46	पत्थर रोड़ी 40 एम०एम०	प्रति घन मी०	
47	अन्य सामग्री	प्रति घन मी०	
48	कम्पलीट कार्य	वर्ग मी०/घन मी०/नग	
49	अतिरिक्त कक्ष केन्द्र (CSC)		
50	अन्त्येष्टि स्थल		
51	पुस्तकालय		
52	सीमेंट बेंच		
53	लाइट		
54	डस्टबिन		

नोट-01- यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत बरखेड़ा राजपूत
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

सचिव, बरखेड़ा राजपूत
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत चांदनगर विकास खंड जोया जनपद अमरोहा

पत्रांक: मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांक: 04.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत चांदनगर विकासखंड जोया जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 04.09.2026 से 11.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 11.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	
45	वाटर स्टोरेज टैंक	प्रति नग	
46	पत्थर रोड़ी 40 एम०एम०	प्रति घन मी०	
47	अन्य सामग्री	प्रति घन मी०	
48	कम्पलीट कार्य	वर्ग मी०/घन मी०/नग	
49	अतिरिक्त कक्ष केन्द्र (CSC)		
50	अन्त्येष्टि स्थल		
51	पुस्तकालय		
52	सीमेंट बेंच		
53	लाइट		
54	डस्टबिन		

नोट-01- यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत चांदनगर
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

सचिव, चांदनगर
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत पीपली कला विकास खंड जोया जनपद अमरोहा

पत्रांक: मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांक: 04.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत पीपली कला विकासखंड जोया जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 04.09.2026 से 11.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 11.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	
45	वाटर स्टोरेज टैंक	प्रति नग	
46	पत्थर रोड़ी 40 एम०एम०	प्रति घन मी०	
47	अन्य सामग्री	प्रति घन मी०	
48	कम्पलीट कार्य	वर्ग मी०/घन मी०/नग	
49	अतिरिक्त कक्ष केन्द्र (CSC)		
50	अन्त्येष्टि स्थल		
51	पुस्तकालय		
52	सीमेंट बेंच		
53	लाइट		
54	डस्टबिन		

नोट-01- यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत पीपली कला
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

सचिव, पीपली कला
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

संक्षिप्त डायरी

शिक्षक दिवस पर कावेरी मुकरजी ने दिया शिक्षा और संस्कार का संदेश

एजेंसी

प्रयागराज। शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षिका एवं ज्योतिष कावेरी मुकरजी ने सभी शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि शिक्षक केवल ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि विद्यार्थियों को संस्कार और जीवन की सही दिशा भी प्रदान करते हैं। गुरु का सम्मान हमारी संस्कृति की पहचान है।

बांदा : एक जनपद-एक उत्पाद समेत अन्य कारीगर अब होंगें जेम पोर्टल पर ऑनबोर्ड

एजेंसी

बांदा । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार स्थानीय हुनर और पारंपरिक शिल्पकला को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए लगातार ऐतिहासिक कदम उठा रही है। इसी कड़ी में बांदा जनपद के स्थानीय कारीगरों और हस्तशिल्पियों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए योगी सरकार ने एक बेहद महत्वाकांक्षी पहल की है। जनपद के प्रसिद्ध 'एक जनपद-एक उत्पाद' व अन्य कारीगरों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अब 'जेम बाजार' की शुरूआत की जा रही है। सरकार के इस कदम से बांदा के शजर पत्थर से बनी चीजें व अन्य कारीगरों के द्वारा बनाई गई चीजें अब सीधे सरकारी ई-मार्केटप्लेस पर उपलब्ध होंगे। जिससे बिचौलियों का अंत होगा और महिला व पुरुष हस्तशिल्पियों को सीधे डिजिटल बाजार का बड़ा फायदा मिलेगा। संयुक्त आयुक्त उद्योग सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि स्थानीय कारीगरों को इस डिजिटल व्यवस्था से जोड़ने और उन्हें जेम पोर्टल पर ऑनबोर्ड करने के लिए योगी सरकार एक विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन करने जा रही है। इसके तहत आगामी 8 सितंबर को एक महत्वपूर्ण वर्चुअल मीटिंग आयोजित की जाएगी। जिसमें कारीगरों को उत्पाद लिस्टिंग, डिजिटल मार्केटिंग और सरकारी खरीद प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह पहल बांदा के शजर पत्थर उद्योग और अन्य पारंपरिक शिल्पकला से जुड़े हजारों परिवारों के जीवन में समृद्धि लाने वाली साबित होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप, इस व्यवस्था से अब सरकारी विभागों में होने वाली खरीदारियों में स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता मिलेगी। इससे न केवल कारीगरों को उनके उत्पादों का सही मूल्य मिलेगा बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी भारी गति मिलेगी। योगी सरकार की इस पहल की सराहना करते हुए बांदा के हस्तशिल्पियों में भारी उत्साह है। इन लोगों का कहना है कि सरकार ने सदियों पुरानी कला को आधुनिक तकनीक से जो जोड़ने का काम करने जा रही है वह बहुत सराहनीय है। जो हमारी तरक्की में मील का पत्थर साबित होगा।

चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित आश्रमों को मदद पहुंचाई जाएगी : शंकराचार्य स्वामी अधोक्षजानंद

एजेंसी

चित्रकूट भगवान श्री राम की पावन तपोभूमि चित्रकूट में पिछले आठ दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और मंदाकिनी नदी के उफान से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बाढ़ के कारण उत्पन्न हुई विषम परिस्थितियों पर चिंता व्यक्त करते हुए शंकराचार्य स्वामी अधोक्षजानंद देवतीर्थ महाराज ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि बाढ़ से प्रभावित क्षतिग्रसत कुटिया और आश्रमों को मदद पहुंचाई जाएगी। चित्रकूट कार्यालय से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि मथुरा के गोवर्धन में अपने चातुर्मास व्रत के दौरान संवाददाताओं से बातचीत करते हुए स्वामी अधोक्षजानंद ने कहा कि चित्रकूट से अत्यंत कष्टदायी समाचार मिल रहे हैं। मां मंदाकिनी के प्रकोप और भीषण बाढ़ के कारण वहां भारी नुकसान हुआ है। आम जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। शंकराचार्य जी ने संकट की इस घड़ी में राहत एवं बचाव कार्य में जुटे स्थानीय प्रशासन, सामाजिक संस्थाओं और सेवाभावी लोगों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि चित्रकूट के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद स्थिति को बहुत ही सराहनीय ढंग से संभाला है। इसके साथ ही उन्होंने सभी अखाड़ों, मठ-मंदिरों और समाजसेवियों से अपील की कि वे पीड़ित लोगों की सहायता के लिए चल रहे सेवा कार्यों को और गति दें।गोवर्धन में रहकर गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए शंकराचार्य जी ने कहा, मैं भगवान गोवर्धनधारी के क्षेत्र में हूँ और उनसे यही प्रार्थना व निवेदन करता हूँ कि वे वर्षा के देवता इंद्र को नियंत्रित करें ताकि चित्रकूट में बारिश बंद हो सके और लोग पुनः सामान्य जीवन की ओर लौट सकें। स्वामी अधोक्षजानंद ने घोषणा की कि वे वर्तमान में गोवर्धन में चातुर्मास व्रत का पालन कर रहे हैं। चातुर्मास समाप्त होते ही वे स्वयं चित्रकूट धाम का भ्रमण करेंगे और प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेंगे। विशेष रूप से चित्रकूट के दूर-दराज तथा टाटी घाट जैसे जंगली क्षेत्रों में पयस्विनी नदी के तट पर एकांत साधना कर रहे त्यागी साधु-संतों की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि जो संत संसार के आडंबरों से दूर रहकर विश्व कल्याण के लिए तपस्या करते हैं, उनकी कुटिया और झोपड़ियों के क्षतिग्रस्त होने की खबरें भी मिली हैं। चातुर्मास पूरा होने के बाद उनके मठ और संस्था द्वारा ऐसे सभी साधु-संतों की कुटिया एवं झोपड़ियों का पुनः निर्माण कराया जाएगा तथा मठ की ओर से हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।

करंट लगने से पिता-पुत्र की मौत

एजेंसी

शाहजहांपुर । उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के कांट थाना क्षेत्र में गुरुवार को खेत में करंट लगने से पिता-पुत्र की मौत हो गई। कांट थाना क्षेत्र के इंदेपुर गांव निवासी श्यामाचरण (65) का गांव से कुछ दूर खेत है। उन्होंने फसल को आवारा पशुओं से बचाने के लिए खेत में तार लगा रखी है। जबकि झटका मशीन को उन्होंने घर पर रखा था। गुरुवार सुबह वह घर से तार लेकर खेत में लगे तारों से जोड़ने जा रहे थे। इसी दौरान तार में करंट उतरने से वह उसकी चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। कुछ देर बाद श्यामाचरण का पुत्र सुमित (22) खेत पर पहुंचा। पिता को करंट की चपेट में पड़ा देखकर उसने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह भी करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। बाद में खेतों पर पहुंचे ग्रामीणों ने पिता-पुत्र के शव पड़े देखे और पुलिस तथा परिजनों को सूचना दी। दोनों शवों को घर लाया गया। कांट थाना के प्रभारी निरीक्षक राकेश तोमर ने बताया कि पिता-पुत्र की करंट लगने से मौत हुई है। परिजनों ने शवों का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है।

काशी की बाढ़ पर पीएम मोदी ने डीएम से लिया फीडबैक, राहत कार्य तेज करने के दिए निर्देश

एजेंसी

वाराणसी । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाढ़ की स्थिति को लेकर जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बातचीत कर स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने गंगा के बढ़ते जलस्तर, घाटों पर पानी की स्थिति, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों तथा जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से चलाए जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों का फीडबैक लिया। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हरसंभव मदद सुनिश्चित करने और राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से अस्सी घाट, दविदास घाट, जलवरिया और नंदी घाट समेत विभिन्न क्षेत्रों में गंगा के जलस्तर और पानी के फैलाव की स्थिति की जानकारी

ली। उन्होंने यह भी जाना कि किन-किन इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंच चुका है और प्रभावित लोगों के लिए प्रशासन तथा नगर निगम की ओर से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। राहत शिविरों, भोजन, पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाओं को लेकर भी स्थिति की जानकारी ली गई। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी पार्षदों और जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए जिला प्रशासन एवं नगर निगम की टीमें पूरी तत्परता के साथ राहत और बचाव कार्य में जुटी रहें। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए और जरूरतमंदों तक तत्काल सहायता पहुंचाई जाए। प्रशासन को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने को कहा गया। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने प्रधानमंत्री को वाराणसी की वर्तमान बाढ़ स्थिति के साथ ही राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी दी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने वाराणसी के महापौर अशोक तिवारी से भी फोन पर बातचीत कर बाढ़ की स्थिति का फीडबैक लिया। महापौर अशोक तिवारी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने काशी की स्थिति, गंगा के बढ़ते पानी और विभिन्न घाटों पर जलस्तर के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अस्सी घाट, दविदास घाट, जलवरिया और नंदी घाट सहित कई क्षेत्रों की स्थिति के बारे में भी पूछा। अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लगातार स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। अधिकारियों ने प्रभावित मोहल्लों, तटवर्ती इलाकों और जलभराव वाले स्थानों का दौरा कर राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी गई और संबंधित विभागों की टीमों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। प्रशासन की टीमें गंगा के जलस्तर, जलभराव, राहत शिविरों, आवागमन और प्रभावित लोगों की जरूरतों पर लगातार नजर रख रही हैं। आपात स्थिति में तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है।

रागिनी के सपनों को मिली उड़ान, अलख पांडेय ने की 10 लाख रुपये की मदद

एजेंसी

बलिया । बलिया के मनियर ब्लॉक के रानीपुर गांव की सात वर्षीय दिव्यांग छात्रा रागिनी के पढ़ने और आगे बढ़ने के जज्बे ने लोगों को भावुक कर दिया है। सोशल मीडिया पर रागिनी की मदद की गुहार सामने आने के बाद अब उसके सपनों को पंख देने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों के लोग आगे आ रहे हैं। मशहूर शिक्षक और फिजिक्स वाला के संस्थापक अलख पांडेय ने रागिनी के परिवार को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी है। रानीपुर गांव निवासी रागिनी सरकारी प्राथमिक विद्यालय में कक्षा एक की छात्रा है। जब वह महज सात माह की थी, तभी एक दुर्घटना में उसका एक पैर निष्क्रिय हो गया। इसके चलते उसे चलने-फिरने में काफी परेशानी होती है। इसके बावजूद रागिनी के हौसले में कोई कमी नहीं आई। पढ़ाई के प्रति उसके जुनून का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वह घर से करीब 400 मीटर दूर स्थित विद्यालय तक एक पैर के सहारे पहुंचती रही है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर रागिनी की भावुक अपील सामने आने के बाद प्रशासन का भी ध्यान उसकी ओर गया। बुधवार को जिलाधिकारी एमपी सिंह ने रागिनी को ट्राई साइकिल प्रदान की। इससे उसकी स्कूल आने-जाने की राह कुछ आसान हुई। वहीं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने भी रागिनी के परिजनों से बात कर उसे कृत्रिम अंग लगवाने में मदद का भरोसा दिया है। इसके बाद फिजिक्स वाला की टीम ने रागिनी की मां बबिता कुमारी से संपर्क किया।

शिक्षक अलख पांडेय की ओर से रागिनी के परिवार के खाते में ऑनलाइन 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता भेजी गई। फिजिक्स वाला के स्थानीय एकेडमिक हेड संतोष चटराज ने गुरुवार को बताया कि अलख पांडेय की ओर से दी गई आर्थिक मदद से रागिनी की मां काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि रागिनी के पढ़ाई के प्रति जज्बे को देखते हुए यह मदद उसके भविष्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने वॉशिंगटन विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला के साथ छोटे प्रोटीन तैयार करने की विकसित की नई विधि

एजेंसी

कानपुर। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से ऐसे छोटे प्रोटीन तैयार किए जा सकते हैं, जो कठिन लक्ष्यों वाले रिसेप्टर्स को अधिक सटीक तरीके से निशाना बना सकें। इससे नई दवाओं की शुरूआती खोज को तेज करने और लागत कम करने में मदद मिल सकती है। यह बातें गुरुवार को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर के प्रो. अरुण के. शुक्ला ने कहीं। आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रो. डेविड बेकर की प्रयोगशाला के साथ मिलकर छोटे प्रोटीन तैयार करने की नई विधि विकसित करने में योगदान दिया है। इसके जरिए जी-प्रोटीन युग्मित रिसेप्टर्स को लक्षित करने वाले छोटे प्रोटीन तैयार किए जा सकते हैं। यह शोध प्रतिष्ठित विज्ञान पत्रिका नेचर में प्रकाशित हुआ है। जी-प्रोटीन युग्मित रिसेप्टर्स कोशिकाओं की सतह पर मौजूद

होते हैं और बाहरी संकेतों को कोशिका के भीतर पहुंचाने का काम करते हैं। शरीर की कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में इनकी भूमिका होती है और अनेक दवाएं इन्हीं रिसेप्टर्स को निशाना बनाती हैं। नई विधि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से ऐसे छोटे प्रोटीन तैयार किए गए, जिनके विशेष रिसेप्टर से जुड़ने की संभावना अधिक थी। इसके बाद बेहतर प्रोटीनों का ही प्रयोगशाला में परीक्षण किया गया। इससे बड़ी संख्या में रासायनिक यौगिकों की जांच की जरूरत कम हो सकती है और दवा खोज की शुरूआती प्रक्रिया तेज हो सकती है। शोध दल ने कई जी-प्रोटीन युग्मित रिसेप्टर्स को लक्षित करने वाले छोटे प्रोटीन तैयार किए। इनमें सीएक्ससीआर-4 और सीसीआर-5 भी शामिल हैं, जो कैंसर और एचआईवी जैसे संक्रमणों से जुड़े हैं।आईआईटी कानपुर का प्रमुख योगदान सीएक्ससीआर-4 रिसेप्टर से जुड़ने वाले एक छोटे प्रोटीन की संरचना समझने में रहा। संस्थान की क्रायो-ईएम सुविधा में क्रायो-इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शिता तकनीक से यह अध्ययन किया गया कि प्रोटीन रिसेप्टर से किस तरह जुड़ता है और उसकी कार्यप्रणाली को कैसे प्रभावित करता है। प्रो. बेकर को वर्ष 2024 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला था। आईआईटी कानपुर के प्रो. अरुण के. शुक्ला के साथ डॉ. रामानुज बनर्जी, मणिशंकर गांगुली, अन्नू दलाल, सुधा मिश्रा और शाची सिन्हा ने भी शोध में योगदान दिया। इस शोध कार्य को अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जैव प्रौद्योगिकी विभाग और लेडी टाटा मेमोरियल ट्रस्ट से सहयोग मिला। शोधकर्ताओं के अनुसार, यह तकनीक दवा खोज के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। हालांकि, तैयार किए गए प्रोटीन अभी दवाएं नहीं हैं और चिकित्सकीय इस्तेमाल से पहले कई चरणों के परीक्षण आवश्यक होंगे।

छाता शुगर मिल का चालू न हो पाना किसानों के साथ सीधा छल है: राकेश टिकैत

एजेंसी

मथुरा। मथुरा के डैंपियर नगर स्थित किसान भवन में गुरुवार दोपहर भारतीय किसान यूनियन का दो दिवसीय राष्ट्रीय किसान चिंतन शिविर भव्यता और अनुशासन के साथ संपन्न हो गया। भगवान श्रीकृष्ण की पावन जन्मभूमि पर आयोजित इस शिविर के दूसरे दिन देश और प्रदेशभर से पहुंचे हजारों किसानों ने शिरकत की।शिविर के मुख्य वक्ता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सोची-समझी रणनीति के तहत किसानी और किसानों को कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के हवाले करना चाहती है। देश में बढ़ती बेरोजगारी पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो गया है।छाता शुगर मिल का विशेष जिक्र करते हुए टिकैत ने कहा कि जिस जनपद में प्रदेश के गन्ना मंत्री मौजूद हों, उसी जिले में आज तक छाता शुगर मिल का चालू न हो पाना किसानों के साथ सीधा छल है। इसके अलावा उन्होंने आलू किसानों की बदहाली और समस्याओं पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की।राष्ट्रीय महासचिव चौधरी युद्धवीर सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन में अनुशासन सर्वोपरि है और किसी भी संगठन विरोधी गतिविधि में लिप्त पाए जाने वाले पदाधिकारी पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष पंडित राजपाल शर्मा और प्रदेश प्रवक्ता गजेंद्र सिंह परिहार ने संयुक्त रूप से आह्वान किया कि किसान विरोधी नीतियों का मुकाबला करने के लिए पूरी किसान बिरादरी को आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होना होगा तथा गांव-गांव जाकर संगठन का व्यापक विस्तार करना होगा।चिंतन शिविर के दौरान गन्ना भुगतान, छाता शुगर मिल के जल्द संचालन, आलू किसानों की समस्याओं और विभिन्न स्थानीय प्रशासनिक मुद्दों पर गहन मंथन किया गया। कार्यक्रम के अंत में किसानों ने तहसीलदार सदर अमित त्रिपाठी को अपनी विभिन्न मांगों से जुड़ा 11 कार्यक्रम में विजेंद्र सिंह यादव, परविंदर अवाना, विमल तोमर, बबली त्यागी, कैप्टन बच्चू सिंह सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश, एनसीआर और स्थानीय स्तर के तमाम प्रमुख पदाधिकारी एवं हजारों अन्नदाता किसान मौजूद रहे।

लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विधायक लक्ष्मण चंद्र घोरुई एवं अभिजीत मुखर्जी ने की शिष्टाचार भेंट

एजेंसी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से पश्चिम बंगाल के दुगार्पुर से विधायक लक्ष्मण चंद्र घोरुई जी एवं युवा मोर्चा के महानगर मीडिया प्रभारी व रेलवे बोर्ड सलाहकार समिति के सदस्य भारत सरकार अभिजीत मुखर्जी ने लखनऊ में शिष्टाचार भेंट की। भेंट के दौरान उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे बंगाली समाज से जुड़े विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषयों पर चर्चा हुई। गाजियाबाद, नोएडा, वाराणसी एवं लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बंगाली समाज की उल्लेखनीय उपस्थिति है। यह समुदाय लंबे समय से उत्तर प्रदेश के

सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक जीवन में सक्रिय योगदान देता रहा है। बातचीत के दौरान बंगाली समाज और उत्तर प्रदेश के बीच सामाजिक एवं सांस्कृतिक संवाद को और मजबूत करने तथा बंगाली संस्कृति, भाषा एवं परंपराओं से जुड़े कार्यक्रमों को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। लक्ष्मण चंद्र घोरुई जी ने आगामी दुर्गा पूजा के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को दुगार्पुर आने का विशेष निमंत्रण भी दिया। उन्होंने पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के बीच सांस्कृतिक एवं सामाजिक संबंधों को और मजबूत करने की भावना व्यक्त की। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष विनीत शर्मा, मुकेश शर्मा, जॉयदीप बनर्जी, मनीषा शिकदर, एवं पारिजात गांगुली उपस्थित रहे। अभिजीत मुखर्जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में रह रहे बंगाली समाज और प्रदेश सरकार के बीच निरंतर संवाद सामाजिक समन्वय एवं सांस्कृतिक सहभागिता को और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

बारिश में मकान की दीवार गिरने से पिता और बच्चों सहित तीन की मौत, मुख्यमंत्री ने जताया शोक

एजेंसी

चित्रकूट । उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए काल बनती जा रही है। यहां भरतकूप थाना क्षेत्र अंतर्गत बराछ गांव में बीती देर रात बुधवार को तेज बारिश से एक मकान की दीवार ढहने से एक ही परिवार के पांच लोग मलबे में दब गए। इनमें गृहस्वामी और दो बच्चों सहित तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं महिला और एक बच्ची घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और मृतकों के प्रति गहरा शोक जताया है। भरतकूप थाना क्षेत्र के बराछ गांव में बीती

रात्रि 12 बजे कल्लू यादव अपनी पत्नी कुंता देवी और तीन बच्चे अंश, कल्ली और आंशिक खाना पीना खाने के बाद घर में सो रहे थे। रात में जारी तेज बारिश के कारण घर की दीवार गिर गई, जिससे सभी लोग मलबे में दब गए। चीख पुकार सुनकर पड़ोसियों ने मौके पर पहुंचकर उनको मलबे से निकालने का प्रयास किया और घटना की सूचना प्रशासन को दी। लेकिन बारिश के कारण चारों तरफ नाले आदि में उफान के चलते गांव पहुंचने वाली सड़क के ऊपर से पानी बह रहा था। ऐसे में गांव का संपर्क तहसील मुख्यालय से कटा हुआ था, जिसकी वजह से प्रशासनिक मदद तुरंत मौके पर नहीं पहुंच पाई। आनन फानन में प्रशासन ने एनडीआरएफ टीम को मौके पर भेजा। एनडीआरएफ की टीम ने किसी तरह से मौके पर पहुंचकर घायलों को बाहर निकाला और उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इस घटना में मलबे में दबकर गृहस्वामी कल्लू और उनका बेटा अंश और पुत्री कल्ली सहित तीन लोगों की मौत हो गयी है। जबकि मृतक की पत्नी कुंता और उसकी बेटी अंशिका घायल हैं और उनका इलाज जारी है। इस घटना के बाद मौके पर एडीएम, सीओ पुलिस फोर्स के साथ किसी तरह से पहुंच गए। कि कल बारिश के कारण पहाड़ों से पानी आ गया था, जिससे एक घर की दीवार गिर गई। उसके मलबे में एक ही परिवार के 05 लोग दब गए थे। जिनमें बेटा, बेटी और पिता की मौत हो गई है। हादसे में मृतक की पत्नी व एक बेटी घायल है, जिनका इलाज किया जा रहा है। इस दैवीय आपदा में पीड़ित परिवार की राहत कोष से आर्थिक मदद की जाएगी। घटना की जानकारी पर गुरुवार की सुबह सदर विधायक अनिल प्रधान मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जनपद में लगातार हो रही बारिश से लोग परेशान है। चारों तरफ पानी ही पानी है। बारिश से एक दीवार ढहने से तीन लोगों की मौत हो गई है और दो लोग घायल हैं। यह हृदय विदारक घटना है। इस घटना में मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि अलग से इन पीड़ितों की मदद की जाएगी। उधर, अस्पताल में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक घायलों का हालचाल लेने पहुंचे। आधिकारियों ने कहा कि सहायता के साथ ही पीड़ितों का बेहतर इलाज कराया जा रहा है। इस हादसे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य तेज करने तथा घायलों का समुचित उपचार सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

कार्यालय ग्राम पंचायत गंगवासपुर विकास खंड जोया जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 04.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत गंगवासपुर विकासखंड जोया जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 04.09.2026 से 11.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 11.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	
45	वाटर स्टोरेज टैंक	प्रति नग	
46	पत्थर रोड़ी 40 एम०एम०	प्रति घन मी०	
47	अन्य सामग्री	प्रति घन मी०	
48	कम्पलीट कार्य	वर्ग मी०/घन मी०/नग	
49	अतिरिक्त कक्ष केन्द्र (CSC)		
50	अन्त्येष्टि स्थल		
51	पुस्तकालय		
52	सीमेंट बेंच		
53	लाइट		
54	डस्टबिन		

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत गंगवासपुर
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

सचिव, गंगवासपुर
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत रजबपुर विकास खंड जोया जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 04.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत रजबपुरविकासखंड जोया जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 04.09.2026 से 11.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 11.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	
45	वाटर स्टोरेज टैंक	प्रति नग	
46	पत्थर रोड़ी 40 एम०एम०	प्रति घन मी०	
47	अन्य सामग्री	प्रति घन मी०	
48	कम्पलीट कार्य	वर्ग मी०/घन मी०/नग	
49	अतिरिक्त कक्ष केन्द्र (CSC)		
50	अन्त्येष्टि स्थल		
51	पुस्तकालय		
52	सीमेंट बेंच		
53	लाइट		
54	डस्टबिन		

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत रजबपुर
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

सचिव, रजबपुर
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत शकरपुर समसपुर विकास खंड जोया जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 04.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत शकरपुर समसपुर विकासखंड जोया जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 04.09.2026 से 11.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 11.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	
45	वाटर स्टोरेज टैंक	प्रति नग	
46	पत्थर रोड़ी 40 एम०एम०	प्रति घन मी०	
47	अन्य सामग्री	प्रति घन मी०	
48	कम्पलीट कार्य	वर्ग मी०/घन मी०/नग	
49	अतिरिक्त कक्ष केन्द्र (CSC)		
50	अन्त्येष्टि स्थल		
51	पुस्तकालय		
52	सीमेंट बेंच		
53	लाइट		
54	डस्टबिन		

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत शकरपुर समसपुर
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

सचिव, शकरपुर समसपुर
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत शहबाजपुर कला विकास खंड जोया जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 04.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत शहबाजपुर कला विकासखंड जोया जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 04.09.2026 से 11.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 11.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	
45	वाटर स्टोरेज टैंक	प्रति नग	
46	पत्थर रोड़ी 40 एम०एम०	प्रति घन मी०	
47	अन्य सामग्री	प्रति घन मी०	
48	कम्पलीट कार्य	वर्ग मी०/घन मी०/नग	
49	अतिरिक्त कक्ष केन्द्र (CSC)		
50	अन्त्येष्टि स्थल		
51	पुस्तकालय		
52	सीमेंट बेंच		
53	लाइट		
54	डस्टबिन		

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत शहबाजपुर कला
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

सचिव, शहबाजपुर कला
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत ईट का रढा विकास खंड जोया जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 04.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत ईट का रढा विकासखंड जोया जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 04.09.2026 से 11.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 11.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	
45	वाटर स्टोरेज टैंक	प्रति नग	
46	पत्थर रोड़ी 40 एम०एम०	प्रति घन मी०	
47	अन्य सामग्री	प्रति घन मी०	
48	कम्पलीट कार्य	वर्ग मी०/घन मी०/नग	
49	अतिरिक्त कक्ष केन्द्र (CSC)		
50	अन्त्येष्टि स्थल		
51	पुस्तकालय		
52	सीमेंट बेंच		
53	लाइट		
54	डस्टबिन		

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत ईट का रढा
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

सचिव, ईट का रढा
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत चोटीपुरा विकास खंड जोया जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 04.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत चोटीपुरा विकासखंड जोया जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 04.09.2026 से 11.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 11.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	
45	वाटर स्टोरेज टैंक	प्रति नग	
46	पत्थर रोड़ी 40 एम०एम०	प्रति घन मी०	
47	अन्य सामग्री	प्रति घन मी०	
48	कम्पलीट कार्य	वर्ग मी०/घन मी०/नग	
49	अतिरिक्त कक्ष केन्द्र (CSC)		
50	अन्त्येष्टि स्थल		
51	पुस्तकालय		
52	सीमेंट बेंच		
53	लाइट		
54	डस्टबिन		

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत चोटीपुरा
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

सचिव, चोटीपुरा
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत पपसरा विकास खंड जोया जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 04.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत पपसरा विकासखंड जोया जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 04.09.2026 से 11.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 11.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	
45	वाटर स्टोरेज टैंक	प्रति नग	
46	पत्थर रोड़ी 40 एम०एम०	प्रति घन मी०	
47	अन्य सामग्री	प्रति घन मी०	
48	कम्पलीट कार्य	वर्ग मी०/घन मी०/नग	
49	अतिरिक्त कक्ष केन्द्र (CSC)		
50	अन्त्येष्टि स्थल		
51	पुस्तकालय		
52	सीमेंट बेंच		
53	लाइट		
54	डस्टबिन		

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत पपसरा
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

सचिव, पपसरा
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

सड़क हादसे में बाइक सवार दो मजदूरों की मौत, कार चालक हिरासत में

नजीबाबाद/बिजनौर (सब का सपना):- जनपद के थाना नजीबाबाद क्षेत्र में ग्राम गाजीपुर के सामने जमालती कट के पास हुए सड़क हादसे में बाइक सवार दो मजदूरों की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार, ग्राम गाजीपुर निवासी मो. शमून (40) पुत्र अनीस और थाना किरतपुर क्षेत्र के ग्राम फाजलपुर हबीब उर्फ ज्वलीलाला निवासी कादिर (45) पुत्र शफीक अहमद मोटरसाइकिल संख्या UP 20 BP 1713 से मंडी में मजदूरी करने आ रहे थे। इसी दौरान ग्राम गाजीपुर के सामने जमालती कट के पास उनकी मोटरसाइकिल की एक वेन्यू कार संख्या 25 BH 6047 P से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए पूजा हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही मृतकों के परिवारों में कोहराम मच गया। पुलिस ने दोनों शवों का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। वहीं कार चालक सचिन पुत्र कैलाश चंद्र निवासी कुंभी चौड़, कोटद्वार, उत्तराखंड को हिरासत में ले लिया गया है। दुर्घटनाग्रस्त कार को पुलिस ने थाने में खड़ा करा लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद मौके पर शांति व्यवस्था सामान्य बनी हुई है।

पारिवारिक कलह में युवक ने फांसी लगाकर दी जान

असोथर/फतेहपुर (सब का सपना) :- गुरुवार रात पत्नी से विवाद के बाद एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के बिलारी मऊ गांव में गांव निवासी मंगल पुत्र कल्लू (35) शराब का आदी बताया जाता था। गुरुवार रात करीब 7 बजे परिवार के सभी लोग घर के नीचे थे। इसी दौरान उसने दो मंजिला मकान की छत पर साड़ी से फंदा बनाकर जान दे दी। कुछ देर बाद परिजनों को जानकारी हुई तो चीख-पुकार मच गई। परिजनों के मुताबिक घटना से कुछ समय पहले कल्लू का पत्नी मंजू देवी से विवाद हुआ था। मृतक का 3 वर्षीय पुत्र कार्तिकेय है। उसकी मां उषा देवी आशा बहू कार्यकर्ता हैं। कल्लू चार भाइयों में दूसरे नंबर का था। थाना प्रभारी राजीव मिश्रा ने बताया कि प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

बाढ़ के पानी से जलमग्न हुई गौशाला, 90 गोवंश शिफ्ट

असोथर/फतेहपुर :- जनपद के विकासखंड असोथर की ग्राम पंचायत सरांय खालिस स्थित अस्थायी गौशाला में ससुर खदेरी नदी का पानी घुसने से हड़कंप मच गया। बाढ़ से गौशाला पूरी तरह जलमग्न हो गई। नदी का जलस्तर बढ़ने पर बीडीओ रत्नाकर त्रिपाठी के नेतृत्व में जेसीबी से तटबंध बंधवाने का प्रयास किया गया, लेकिन पानी के दबाव से तटबंध टूट गया। गौशाला में संरक्षित 115 गोवंशों को सुरक्षित निकालने की कवायद शुरू की गई। भाकियू अराजनैतिक के ब्लॉक महामंत्री दिनेश प्रताप सिंह, ग्रामीणों और अधिकारियों के सहयोग से पहले गोवंशों को बौडर गांव के मोड़ के पास तिवारी जी के गोदाम में रखा गया, फिर 90 गोवंशों को रामनगर कौहन गौशाला में शिफ्ट किया गया। पशु चिकित्सा अधिकारी प्रदीप गुप्ता, एडीओ, पंचायत सचिव सहित अधिकारियों की मौजूदगी में गोवंशों को पैदल रामनगर कौहन पहुंचाया गया। इस दौरान ग्राम प्रधान स्मिता, पंचायत सचिव सुरेश कुमार वर्मा, भाकियू टिकैत गुट के ब्लॉक अध्यक्ष दीपू मिश्रा भी मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ गोवंश ले जाते समय सरांय खालिस निवासी शिवनाथ रैदास ने मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़ित के अनुसार सर्वोदय इंटर कॉलेज के पास विंदेश्वरी और तीन अज्ञात युवकों ने उसे रोककर गाली-गलौज व लाठी-डंडों से मारपीट की और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। थाना प्रभारी राजीव मिश्रा ने बताया कि तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है।

सुभाष वाल्मीकि के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बनने पर किया गया सम्मान

नगीना/बिजनौर (सब का सपना):- भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सुभाष वाल्मीकि को भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र का क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने पर राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा की ओर से उनका सम्मान किया गया। मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र सोढ़ी ने सुभाष वाल्मीकि के आवास पर पहुंचकर उन्हें फूलमाला पहनाई तथा पगड़ी बांधकर नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर राजेंद्र सोढ़ी ने कहा कि सुभाष वाल्मीकि भाजपा के प्रति पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ही ऐसी पार्टी है, जिसने समय-समय पर वाल्मीकि समाज को राजनीतिक नेतृत्व देने का कार्य किया है। वर्ष 2017 में भाजपा के प्रदेश की सत्ता में आने के बाद पार्टी हाईकमान ने सुभाष वाल्मीकि को बिजनौर का जिलाध्यक्ष बनाया था और अब उन्हें क्षेत्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी देकर वाल्मीकि समाज का गौरव बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने मंगल राम प्रेमी, चंद्रपाल वाल्मीकि और सुभाष वाल्मीकि को लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों में टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है। उन्होंने कहा कि जनसंघ के समय भी भाजपा ने नगीना विधानसभा क्षेत्र से स्व. मुसद्दीलाल शम्मू को प्रत्याशी बनाकर वाल्मीकि समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया था। राजेंद्र सोढ़ी ने कहा कि वाल्मीकि समाज भाजपा के साथ पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जुड़ा हुआ है और भविष्य में भी पार्टी का समर्थन करता रहेगा। उन्होंने राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा की ओर से भाजपा हाईकमान का आभार व्यक्त करते हुए सुभाष वाल्मीकि के उज्ज्वल राजनीतिक भविष्य की कामना की।

रजबपुर क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते युवक के साथ मारपीट का मामला, दो पर केस दर्ज, जांच पड़ताल शुरू

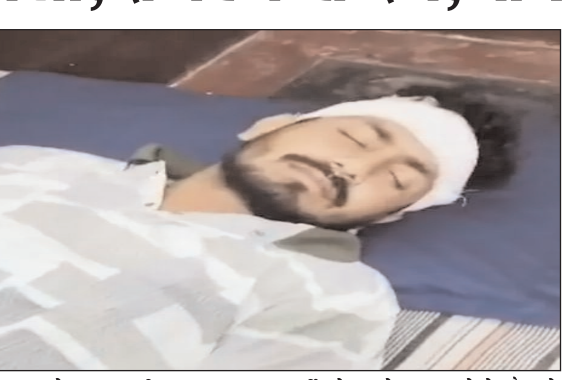

रजबपुर/अमरोहा (सब का सपना):- जनपद के थाना रजबपुर क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है इस मामले में थाना पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की है और मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
बता दें कि रजबपुर थाना क्षेत्र में एक युवक से सरेराह मारपीट का मामला सामने आया है। पुरानी रंजिश के चलते दो युवकों ने उसे सड़क पर गिराकर पीटा। पुलिस ने दो नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले में जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी अनुसार रजबपुर गांव के अरकान अहमद ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनका बेटा 1 सितंबर को सुबह करीब सवा 11 बजे धान कीटनाशक दवाई लेने गांव की मोनू की दुकान पर गया था। आरोप है कि दुकान से निकलते ही खुर्शीद पुत्र अनीस अहमद ने उसके बेटे की बाइक रोकी और चाबी निकाल ली।अरकान के मुताबिक, खुर्शीद ने पहले हुए झगड़े के फैसले का दबाव बनाया और गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। इतने में शादाब पुत्र अनीस अहमद भी वहां आ गया। उसने अरकान के बेटे को पकड़कर सड़क पर गिरा दिया।इसके बाद दोनों आरोपियों ने लात, घूसों और कोहनियों से उसके बेटे को पीटा। इस मारपीट में उसके बेटे के सिर में गंभीर चोटें आईं। मारपीट के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गए।पीड़ित पिता ने उसी दिन अपने बेटे का थाने के माध्यम से उ़ऌउ जोया में मेडिकल कराया। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपियों ने धारदार चीज से भी चोट पहुंचाई है।
पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 3 सितंबर को खुर्शीद और शादाब के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया। रजबपुर थाना प्रभारी विकास सहरावत ने बताया कि मिली शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

बहादरपुर में धूमधाम से निकली श्रीकृष्ण की भव्य झांकी, जयकारों से गूंजा गांव

स्योहारा/बिजनौर (सब का सपना):- ग्राम बहादरपुर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पर गांव में भव्य झांकी निकाली गई। झांकी में श्रीकृष्ण और राधा के मनमोहक स्वरूप ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। गांव की गलियां ह्यजय श्रीकृष्णह्ल, ह्यराधे-राधेह्ल और ह्यनंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल कीह्ल के जयकारों से गूंज उठीं।झांकी के दौरान श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप की सुंदर झांकी ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। श्रद्धालुओं ने भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन कर सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की।भगवान श्रीकृष्ण को प्रेम, करुणा, धर्म और सत्य का प्रतीक माना जाता है। उनका जीवन हमें अन्याय के विरुद्ध खड़े होने, सत्य के मार्ग पर चलने और कर्म को सर्वोपरि मानने की प्रेरणा देता है। श्रीकृष्ण ने गीता के माध्यम से मानव समाज को निष्काम कर्म, धर्म और कर्तव्य का संदेश दिया। यही कारण है कि जन्माष्टमी का पर्व केवल उत्सव ही नहीं, बल्कि भगवान श्रीकृष्ण के आदर्शों को जीवन में उतारने का अवसर भी है।गांव में निकली झांकी के दौरान श्रद्धालुओं ने भक्ति गीतों और भजनों के साथ भगवान श्रीकृष्ण का गुणगान किया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी में उत्साह दिखाई दिया। धार्मिक वातावरण से पूरा गांव कृष्णमय नजर आया।इस अवसर पर मुन्नू शर्मा, आकाश तोमर, प्रीतम सिंह, विराट तोमर, विवेक दयानंद, धनीराम सिंह, देशराज सिंह, डॉ. वीर सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सभी ने भगवान श्रीकृष्ण की आराधना करते हुए क्षेत्र में सुख-शांति, भाईचारे और समृद्धि की प्रार्थना की।

पीआरवी की तत्परता से 2 साल का बच्चा 20 मिनट में परिजनों से मिला

अमरोहा (सब का सपना):- जनपद के थाना अमरोहा नगर क्षेत्र के मोहल्ला बेगम सराय कलाँ में डॉ. जावेद हॉस्पिटल के पास गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे एक 2 वर्षीय बच्चा रोता हुआ मिला। बच्चा छोटा होने के कारण अपना नाम-पता नहीं बता पा रहा था। सूचना यूपी-112 पर आते ही ढफश्-8074 पर तैनात आरक्षी 1064 मोमीन और कांस्टेबल 993 मो. शोएब तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने बच्चे को सुरक्षित संरक्षण में लेकर उसकी फोटो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुपों में प्रसारित की। पीआरवी कर्मियों की त्वरित कार्रवाई से महज 20 मिनट में ही बच्चे की पहचान हो गई और परिजनों को सूचना देकर बच्चे को सकुशल उनके सुपुर्द कर दिया गया। स्थानीय लोगों ने पीआरवी कर्मियों की कर्तव्यनिष्ठा और मानवीय संवेदनशीलता की सराहना की है।

श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई श्रीकृष्ण जन्माष्टमी

मंदिरों में सजी आकर्षक झांकियां, आधी रात जन्म के साथ गूंजे जयकारे; रामडोल के अखाड़ों में देर रात तक चलते रहे करतब

नगीना/बिजनौर (सब का सपना):- नगर व क्षेत्र में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व परंपरागत रूप से हर्षोल्लास और श्रद्धाभाव के साथ मनाया गया। श्रद्धालुओं ने दिनभर उपवास रखकर भगवान श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना की और मंदिरों में प्रसाद चढ़ाकर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। पर्व के चलते नगर के मंदिरों को रंग-बिरंगी विद्युत झालरों से आकर्षक ढंग से सजाया गया तथा भगवान श्रीकृष्ण की मनोहारी झांकियां सजाई गईं। शुक्रवार को जन्माष्टमी के अवसर पर सुबह से ही धर्मप्रेमी नर-नारियों ने उपवास रखा। शाम होते ही नगर के विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। प्राचीन मुक्तेश्वरनाथ (बड़ा मंदिर), मंडी मौलगंज स्थित लोकेश्वरनाथ मंदिर, खोखरनाथ मंदिर, ब्राह्मणीवाला तालाब स्थित कृष्ण गौशाला मंदिर, सिद्धिविनायक मंदिर, पंजाबी महावीर मंदिर, कलालान स्थित झाड़खंड महादेव गुजराती मंदिर, थाना परिसर स्थित मंदिर, शाहजहांगीर स्थित पंचमुखी मंदिर, सरायमीर स्थित छोटा महादेव मंदिर, विश्नोई सराय स्थित नवीन विश्नोई मंदिर, रेलवे कॉलोनी शिव मंदिर, सिंचाई कॉलोनी स्थित शिव मंदिर, क्षत्रिय नगर स्थित भूरेदेव मंदिर, वाल्मीकि बस्ती स्थित शिव मंदिर, पाधान स्थित पीपल महादेव मंदिर, मोहल्ला जोशियान स्थित शिव मंदिर, चौधराना के देवता मंदिर तथा रामलीला बाग स्थित सिद्धपीठ दुर्गा माता मंदिर सहित नगर के सभी प्रमुख मंदिरों को आकर्षक विद्युत सजावट से सजाया गया। मंदिरों में बनाई गई श्रीकृष्ण की मनोहारी झांकियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी रहीं। झांकियों के दर्शन के लिए देर रात तक मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी रही।
इस दौरान मंदिरों के आसपास भगवान श्रीकृष्ण का रूप धरे बच्चे भी आकर्षक पोशाकों में नजर आए, जिससे माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया।
पर्व के दौरान शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल को मंदिरों तथा प्रमुख स्थानों के आसपास तैनात किया गया था। पुलिस की मौजूदगी में श्रद्धालुओं ने शांतिपूर्ण एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में जन्माष्टमी का पर्व मनाया।

बछरायूं में सरकारी जमीन पर कब्जे की जांच के दौरान दो पक्षों में तीखी नोंकझोंक, दो का चालान

बछरायूं/अमरोहा (सब का सपना):- जनपद में मंडी धनौरा के थाना बछरायूं क्षेत्र में एक सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत मिलने पर मौके पर पहुंची राजस्व विभाग की टीम के सामने ही दो पक्ष आमने-सामने आ गए। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर तीखी नोंकझोंक हुई।इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। वहीं इस मामले में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए दो युवकों का चालान किया है। बता दें कि पूरा मामला थाना बछरायूं नगर के मौहल्ला चौधरियान का है जहां पर राजस्व विभाग की टीम को सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत मिली थी जिसकी जांच हेतु राज्य से विभाग की टीम मौके पर पहुंची, इस दौरान टीम के सामने ही दो पक्षों में जमकर कहा सुनी हुई।राजस्व टीम के जाने के बाद दोनों पक्षों में तीखी झड़प शुरू हो गई। एक पक्ष का व्यक्ति दूसरे पक्ष के युवक को खुलेआम अपशब्द बोलकर धमका रहा था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे इलाके में हलचल मच गई।दरअसल, चौधरियान मोहल्ले के अनवर ने नजाकत पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण कराने का आरोप लगाया था। उन्होंने इसकी शि-ाकायत बड़े अधिकारियों से की थी। शिकायत पर एसडीएम शैलेश कुमार दुबे ने राजस्व टीम को जांच के निर्देश दिए थे।नायब तहसीलदार अजीत कुमार ने बताया कि वे एस-ाडीएम के निर्देश पर राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे। टीम में कानूनगो नरेंद्र सिंह, लेखपाल सचिन सिद्धू और लेखपाल विकास यादव भी थे। जब जमीन की नापतौल हो रही थी, तभी दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई। अधिकारियों ने उन्हें समझाकर शांत कराया था।राजस्व टीम के जाने के बाद माहौल फिर गरमा गया और गाली-गलौज होने लगी। स्थानीय पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। बछरायूं थाना प्रभारी अतवीर चौहान ने बताया कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाए गए हैं।पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के एक-एक व्यक्ति का शांति भंग की आशंका (धारा 151) में चालान किया है। पुलिस ने कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने या इलाके का माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं श्री रामडोल शोभायात्रा के दृष्टिगत डीएम-एसपी ने किया पैदल मार्च

सुरक्षा, यातायात एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

अमरोहा (सब का सपना):- श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं श्री रामडोल शोभायात्रा के दृष्टिगत जनपद में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी डॉ0 नितिन गौड़ एवं पुलिस अधीक्षक डॉ0 लखन सिंह यादव ने आज भारी पुलिस बल के साथ पैदल मार्च किया। दोनों अधिकारियों ने थाना अमरोहा नगर क्षेत्र के टीपी नगर, आवास विकास, अतरासी तिराहा, मौ0 बटवाल सहित प्रमुख बाजार क्षेत्रों एवं शोभायात्रा के निर्धारित मार्ग का पैदल भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। पैदल मार्च के दौरान जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने शोभायात्रा मार्ग पर साफ-सफाई, सड़क की स्थिति, जलभराव, पथ प्रकाश, विद्युत तारों तथा यातायात व्यवस्था का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को शोभायात्रा से पूर्व सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण करने तथा मार्ग में किसी भी प्रकार का अवरोध न रहने देने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि शोभायात्रा को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित की जाएं। शोभायात्रा मार्ग पर गड्ढे एवं जलभराव न हो तथा साफ-सफाई एवं प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त रहे। पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, भीड़ नियंत्रण एवं यातायात व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के निर्देश दिए। शोभायात्रा मार्ग एवं प्रमुख स्थानों पर सतर्क निगरानी रखने तथा सीसीटीवी के माध्यम से भी निगरानी सुनिश्चित करने को कहा। दोनों अधिकारियों ने आमजन एवं व्यापारियों से पर्व को आपसी सौहार्द एवं शांतिपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की। आमजन से किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न देने एवं सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि के कोई भ्रामक अथवा आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित न करने की अपील की।

डीएम-एसपी ने पटाखा गोदामों का किया निरीक्षण

सुरक्षा मानकों एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा, अनियमितता मिलने पर नोटिस जारी

अमरोहा (सब का सपना):- जिलाधिकारी डॉ0 नितिन गौड़ एवं पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव द्वारा थाना अमरोहा देहात क्षेत्रान्तर्गत पंडकी रोड स्थित बालाजी फायरवर्क्स एवं न्यू स्टार फायरवर्क्स पटाखा गोदामों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान अधिकारियों द्वारा गोदामों में पटाखों के भंडारण की स्थिति, सुरक्षा मानकों, अग्नि सुरक्षा उपकरणों, लाइसेंस एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया तथा संबंधित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
निरीक्षण के दौरान बालाजी फायरवर्क्स में स्टॉक रजिस्टर का सत्यापन किए जाने पर दर्ज स्टॉक एवं मौके पर उपलब्ध स्टॉक में अंतर पाया गया। साथ ही, फर्म के लाइसेंस का नवीनीकरण भी नहीं कराया गया था। इस पर जिलाधिकारी द्वारा संबंधित के विरुद्ध नोटिस जारी करने तथा एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने संबंधित को निर्देशित किया कि पटाखों का भंडारण निर्धारित मानकों एवं स्वीकृत क्षमता के अनुरूप ही हो। सभी प्रतिष्ठानों पर अग्निशमन उपकरण क्रियाशील स्थिति में उपलब्ध रहें तथा आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी शशिभूषण पाठक, मुख्य अग्निशमन अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

स्वामी मुद्रक व प्रकाशक अनुज कुमार के द्वारा एजीएस पब्लिकेशंस एफ 23, सेक्टर 6, गौतम बुध नगर, उत्तर प्रदेश 201301 से मुद्रित व गांव बुखारीपुर, पोस्ट ढवारसी, तहसील हसनपुर, जनपद अमरोहा, उत्तर प्रदेश पिन कोड 244242 से प्रकाशित।
संपादक-अनुज कुमार, R.N.I. No.-UPHIN/2023/86483, मो0.945688 4327, E-mail-officialsabkasapna@gmail.com, www.sabkasapna.com नोट- समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्र अमरोहा जनपद न्यायालय होगा।

कार्यालय ग्राम पंचायत हटव्वा विकास खंड जोया जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 04.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत हटव्वा विकासखंड जोया जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 04.09.2026 से 11.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 11.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	
45	वाटर स्टोरेज टैंक	प्रति नग	
46	पत्थर रोड़ी 40 एम०एम०	प्रति घन मी०	
47	अन्य सामग्री	प्रति घन मी०	
48	कम्पलीट कार्य	वर्ग मी०/घन मी०/नग	
49	अतिरिक्त कक्ष केन्द्र (CSC)		
50	अन्त्येष्टि स्थल		
51	पुस्तकालय		
52	सीमेंट बेंच		
53	लाइट		
54	डस्टबिन		

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत हटव्वा
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

सचिव, हटव्वा
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत असगरीपुर विकास खंड जोया जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 04.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत असगरीपुर विकासखंड जोया जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 04.09.2026 से 11.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 11.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	
45	वाटर स्टोरेज टैंक	प्रति नग	
46	पत्थर रोड़ी 40 एम०एम०	प्रति घन मी०	
47	अन्य सामग्री	प्रति घन मी०	
48	कम्पलीट कार्य	वर्ग मी०/घन मी०/नग	
49	अतिरिक्त कक्ष केन्द्र (CSC)		
50	अन्त्येष्टि स्थल		
51	पुस्तकालय		
52	सीमेंट बेंच		
53	लाइट		
54	डस्टबिन		

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत असगरीपुर
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

सचिव, असगरीपुर
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत मीरपुर विकास खंड जोया जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 04.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत मीरपुर विकासखंड जोया जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 04.09.2026 से 11.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 11.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	
45	वाटर स्टोरेज टैंक	प्रति नग	
46	पत्थर रोड़ी 40 एम०एम०	प्रति घन मी०	
47	अन्य सामग्री	प्रति घन मी०	
48	कम्पलीट कार्य	वर्ग मी०/घन मी०/नग	
49	अतिरिक्त कक्ष केन्द्र (CSC)		
50	अन्त्येष्टि स्थल		
51	पुस्तकालय		
52	सीमेंट बेंच		
53	लाइट		
54	डस्टबिन		

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत मीरपुर
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

सचिव, मीरपुर
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत तौफापुर विकास खंड जोया जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 04.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत तौफापुर विकासखंड जोया जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 04.09.2026 से 11.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 11.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	
45	वाटर स्टोरेज टैंक	प्रति नग	
46	पत्थर रोड़ी 40 एम०एम०	प्रति घन मी०	
47	अन्य सामग्री	प्रति घन मी०	
48	कम्पलीट कार्य	वर्ग मी०/घन मी०/नग	
49	अतिरिक्त कक्ष केन्द्र (CSC)		
50	अन्त्येष्टि स्थल		
51	पुस्तकालय		
52	सीमेंट बेंच		
53	लाइट		
54	डस्टबिन		

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत तौफापुर
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

सचिव, तौफापुर
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत मुबारकपुर विकास खंड जोया जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 04.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत मुबारकपुर विकासखंड जोया जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 04.09.2026 से 11.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 11.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	
45	वाटर स्टोरेज टैंक	प्रति नग	
46	पत्थर रोड़ी 40 एम०एम०	प्रति घन मी०	
47	अन्य सामग्री	प्रति घन मी०	
48	कम्पलीट कार्य	वर्ग मी०/घन मी०/नग	
49	अतिरिक्त कक्ष केन्द्र (CSC)		
50	अन्त्येष्टि स्थल		
51	पुस्तकालय		
52	सीमेंट बेंच		
53	लाइट		
54	डस्टबिन		

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत मुबारकपुर
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

सचिव, मुबारकपुर
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत गजरौला प्रभुवन विकास खंड जोया जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 04.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत गजरौला प्रभुवन विकासखंड जोया जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 04.09.2026 से 11.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 11.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	
45	वाटर स्टोरेज टैंक	प्रति नग	
46	पत्थर रोड़ी 40 एम०एम०	प्रति घन मी०	
47	अन्य सामग्री	प्रति घन मी०	
48	कम्पलीट कार्य	वर्ग मी०/घन मी०/नग	
49	अतिरिक्त कक्ष केन्द्र (CSC)		
50	अन्त्येष्टि स्थल		
51	पुस्तकालय		
52	सीमेंट बेंच		
53	लाइट		
54	डस्टबिन		

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत गजरौला प्रभुवन
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

सचिव, गजरौला प्रभुवन
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत हुसैनपुर मझरा विकास खंड जोया जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 04.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत हुसैनपुर मझरा विकासखंड जोया जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 04.09.2026 से 11.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 11.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	
45	वाटर स्टोरेज टैंक	प्रति नग	
46	पत्थर रोड़ी 40 एम०एम०	प्रति घन मी०	
47	अन्य सामग्री	प्रति घन मी०	
48	कम्पलीट कार्य	वर्ग मी०/घन मी०/नग	
49	अतिरिक्त कक्ष केन्द्र (CSC)		
50	अन्त्येष्टि स्थल		
51	पुस्तकालय		
52	सीमेंट बेंच		
53	लाइट		
54	डस्टबिन		

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत हुसैनपुर मझरा
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

सचिव, हुसैनपुर मझरा
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत सिरसा खुमार विकास खंड जोया जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 04.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत सिरसा खुमार विकासखंड जोया जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 04.09.2026 से 11.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 11.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	
45	वाटर स्टोरेज टैंक	प्रति नग	
46	पत्थर रोड़ी 40 एम०एम०	प्रति घन मी०	
47	अन्य सामग्री	प्रति घन मी०	
48	कम्पलीट कार्य	वर्ग मी०/घन मी०/नग	
49	अतिरिक्त कक्ष केन्द्र (CSC)		
50	अन्त्येष्टि स्थल		
51	पुस्तकालय		
52	सीमेंट बेंच		
53	लाइट		
54	डस्टबिन		

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत सिरसा खुमार
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

सचिव, सिरसा खुमार
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

शिक्षा के प्रति समर्पण की मिसाल बने प्रधानाध्यापक रामवीर सिंह

कोरोना काल में घर-घर पहुंचाई शिक्षा, निजी संसाधनों एवं निजी संस्थाओं से विद्यालय को संवारने के साथ गरीब बच्चों की भी की मदद

हसनपुर/अमरोहा (सब का सपना):- शिक्षक दिवस के अवसर पर विकास क्षेत्र गंगेश्वरी के प्राथमिक विद्यालय गुलामपुर के प्रधानाध्यापक रामवीर सिंह शिक्षा के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय कार्यों के लिए प्रेरणास्रोत बने हुए हैं। वर्ष 2011 से बेसिक शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे रामवीर सिंह ने ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्र के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। कोरोना संक्रमण के कठिन दौर में जब परिषदीय विद्यालय लगभग एक वर्ष तक बंद रहे, उस समय भी रामवीर सिंह ने बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होने दी। उन्होंने घर-घर जाकर बच्चों को शिक्षण कार्य कराया तथा अभिभावकों से संपर्क कर बच्चों की शिक्षा जारी रखने के लिए प्रेरित किया। विषम परिस्थितियों में भी शिक्षा की अलख जगाए रखने का उनका यह प्रयास क्षेत्र में विशेष रूप से सराहा गया। विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों को बेहतर शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए

उन्होंने अपने निजी संसाधनों से विद्यालय को फर्नीचर उपलब्ध कराया, ताकि बच्चे सुविधाजनक ढंग से बैठकर शिक्षा ग्रहण कर सकें। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों की आवश्यकतानुसार सामाजिक संस्थाओं द्वारा मदद करने में भी उनका योगदान उल्लेखनीय रहा है। रामवीर सिंह का प्रयास केवल कक्षा में शिक्षा प्रदान करने तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने समय-समय पर अभिभावकों को शिक्षा के महत्व के साथ सामाजिक कुरीतियों को त्यागने के लिए जागरूक किया। विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा को लेकर उन्होंने अभिभावकों को प्रेरित किया और बेटियों को पढ़-लिखकर आगे बढ़ने तथा अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनका मानना है कि शिक्षक का दायित्व केवल पाठ्यक्रम पूरा करना नहीं, बल्कि बच्चों में शिक्षा, संस्कार, आत्मविश्वास और सामाजिक जागरूकता विकसित करना भी है। इसी सोच के साथ वह विद्यालय एवं समाज के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके कार्य अन्य शिक्षकों के लिए भी प्रेरणादायी हैं।

नजीबाबाद में कुत्ते को उठा ले गया गुलदार, घटना CCTV में कैद

नजीबाबाद/बिजनौर (सब का सपना) :- जनपद के ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत जालबपुर गूदड़ स्थित शिवलोक पुरम कॉलोनी में गुलदार का आतंक बना हुआ है। देर रात गुलदार कॉलोनी में घुसकर एक कुत्ते को मुंह में दबाकर ले गया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि गुलदार पिछले कई दिनों से कॉलोनी के आसपास देखा जा रहा है और पहले भी कई आवारा कुत्तों को शिकार बना चुका है। फुटेज सामने आने के बाद कॉलोनीवासियों में भारी दहशत है। सूचना पर वन विभाग हरकत में आ गया है। रेंजर रामकुमार ने बताया कि मामले का संज्ञान ले लिया गया है। सुरक्षा को देखते हुए कॉलोनी में जल्द पिंजरा लगाकर गुलदार को रेस्क्यू किया जाएगा।

नदी में डूबने से 18 वर्षीय युवक की मौत, चार घंटे बाद मिला शव

बकरियां चराने साथियों संग जंगल गया था युवक, पैर फिसलने से तेज बहाव में बहा

नगीना/बिजनौर (सब का सपना):- साथियों के साथ जंगल में बकरियां चराने गए 18 वर्षीय युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई। नदी के तेज बहाव में पैर फिसलने के बाद युवक पानी में बह गया। ग्रामीणों और तैराक युवकों ने करीब चार घंटे तक उसकी तलाश की। शाम करीब पौने सात बजे घटनास्थल से लगभग एक किलोमीटर दूर युवक का शव बरामद हुआ। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। सीओ सर्किल क्षेत्र के ग्राम किशनपुर कुंडा निवासी मो. रियासत का 18 वर्षीय पुत्र मोहम्मद शहबाज गुरुवार दोपहर रोजाना की तरह गांव के कुछ साथियों के साथ जंगल में बकरियां चराने गया था। बताया गया कि गांव के पास से होकर बह रही नदी में इन दिनों पानी अधिक था। शहबाज नदी किनारे खड़ा होकर तेज बहाव को देख रहा था। इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह नदी में जा गिरा। शहबाज को नदी में गिरते हुए एक व्यक्ति ने देख लिया। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों में मौजूद तैराक युवकों ने नदी में उतरकर उसकी तलाश शुरू की। करीब चार घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद शाम पौने सात बजे घटनास्थल से लगभग एक किलोमीटर दूर शहबाज का शव बरामद हुआ। परिजन शव को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां चिकित्सा प्रभारी अधिकारी डॉ. विशाल दिवाकर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर बढ़ापुर पुलिस भी सीएचसी पहुंच गई। परिजन शव का पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भेज दिया। युवक की नदी में डूबने से हुई मौत के बाद गांव में शोक की लहर है। वहीं, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

स्कूल में जन्माष्टमी उत्सव का भव्य आयोजन

एजेंसी

नोएडा। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास एवं श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव की मनमोहक झलक देखने को मिली। नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों ने श्रीकृष्ण एवं राधा की मनमोहक वेशभूषा धारण कर सभी का मन मोह लिया। विद्यार्थियों ने कृष्ण की बाल लीलाओं, माखन चोरी तथा रासलीला से संबंधित सुंदर प्रस्तुतियां दीं। भजनों, नृत्य एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को भगवान श्रीकृष्ण के जीवन, उनके आदर्शों तथा प्रेम, करुणा और धर्म के संदेश से परिचित कराया गया। बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं के प्रति अपनी समझ को और समृद्ध किया। विद्यालय की प्रधानाचार्या डॉ. रेनू सहगल ने विद्यार्थियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऐसे सांस्कृतिक आयोजन बच्चों को अपनी समृद्ध भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

फ्रेशर्स पार्टी का आयोजन हुआ

एजेंसी

नोएडा। जीएनआईओटी कॉलेज में पीजीडीएम बैच 2026ड28 के नवप्रवेशित विद्यार्थियों के स्वागत एवं उनके नए शैक्षणिक सफर की शुरुआत के लिए इंडिया एक्सपो मार्ट एंड सेंटर के ऑडिटोरियम में फ्रेशर्स पार्टी का आयोजन किया गया। गो ग्लैम थीम पर आयोजित इस समारोह में विद्यार्थियों ने उत्साह, उमंग, आत्मविश्वास और अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। एसीपी पवन कुमार मुख्यातिथि रहे। उनकी मौजूदगी में विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाया और उन्हें अपने शैक्षणिक एवं व्यावसायिक जीवन में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। चेयरमैन डॉ. राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि जीआईएमएस विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा और आधुनिक कॉर्पोरेट वातावरण के अनुरूप तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। संस्थान का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल बेहतर प्रोफेशनल बनाना नहीं, बल्कि उन्हें जिम्मेदार, आत्मविश्वासी और सक्षम युवा के रूप में तैयार करना है।

नवाचार और व्यावसायिक कौशल के लिए प्रेरित किया

एजेंसी

नोएडा। जीएल विश्वविद्यालय में इग्नाइट-26 का आयोजन किया गया कार्यक्रम का शुभारंभ ई-सेल के परिचय एवं उसके उद्देश्यों के साथ हुआ। इस दौरान विद्यार्थियों को नवाचार के बाजार की जरूरतों से जोड़ने और विचारों को प्रभावी व्यवसाय मॉडल में बदलने तथा नवाचार और व्यावसायिक कौशल विकास के लिए प्रेरित किया। वहीं, नवउद्यम सम्मेलन एवं संवादात्मक प्रश्न सत्र आयोजित हुए, जिसमें विद्यार्थियों ने नवउद्यम, व्यावसायिक विचारों और उद्यमशील सोच से जुड़े विषयों की जानकारी ली। एमबीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी एवं वायु क्लोदिंग ब्रांड के संस्थापक सचिन ने उद्यमशील सफर को साझा करते हुए व्यावसायिक विचार विकसित करने, ब्रांड की स्थापना, शुरुआती चुनौतियों और विचार को व्यवसाय में बदलने के अनुभव बताए। प्रतिकुलपति प्रो. द्विवाकर भारद्वाज ने सफल उद्यम के निर्माण में दृढ़ संकल्प, अनुशासन, परिश्रम और निरंतर प्रयास के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने विद्यार्थियों को उद्यमशील दृष्टिकोण विकसित करने और पारंपरिक करियर विकल्पों से आगे बढ़कर नए अवसर तलाशने के लिए प्रेरित किया।

प्रदेश की पहली दो मंजिला एलिवेटेड रोड को मंजूरी

एजेंसी

नोएडा। ग्रेटर नोएडा की 130 मीटर चौड़ी सड़क को दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग-9 से जोड़ा जाएगा। इसके लिए एकमूर्ति चौक से शाहबेरी तक डबल डेकर एलिवेटेड रोड और उससे आगे सिंगल एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी। इसकी कुल लंबाई 5.75 किलोमीटर होगी। इससे संबंधित प्रस्ताव पर गुरुवार को हुई प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में मंजूरी मिल गई। यह प्रदेश की पहली डबल डेकर एलिवेटेड रोड होगी। अब नोएडा और यमुना प्राधिकरण की सहमति लेकर परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा। ग्रेटर नोएडा के सीईओ रवि कुमार एनजी ने बताया कि डबल डेकर एलिवेटेड रोड की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को जिम्मा सौंपा था। एनएचएआई के सर्वेक्षण में दो वैकल्पिक मार्ग सामने आए। पहले विकल्प में एक मूर्ति से शाहबेरी नाले तक डबल डेकर एलिवेटेड प्रस्तावित की गई, जबकि दूसरे में शाहबेरी से नाले के साथ संपर्क मार्ग जोड़ने का प्रस्ताव है। इस सड़क को बनाने के लिए बनी समिति ने पहले चरण में ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित एक मूर्ति चौक से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे राष्ट्रीय राजमार्ग-9 तक डबल डेकर एलिवेटेड रोड बनाने का निर्णय लिया है, जिसकी लागत 756.01 करोड़ रुपये होगी। शाहबेरी नाले से आगे एनएच-9 को जोड़ने के लिए सिंगल एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी। अधिकारी के मुताबिक डबल डेकर एलिवेटेड रोड तीन लेन और सिंगल एलिवेटेड रोड छह लेन की होगी। परियोजना की कुल लागत 1280 करोड़ रुपये है। अधिकारी के मुताबिक परियोजना की लागत यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद प्राधिकरण समान रूप से वहन करेंगे।

दुधारू पशुओं की संख्या में आई कमी, दूध उत्पादन पर पड़ेगा असर

एजेंसी

नोएडा। जिले में 21वीं पशुगणना में पशुओं की संख्या में भारी कमी दर्ज की गई है। दुधारू पशुओं की घटती संख्या से आने वाले समय में दूध उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है, जिससे जिले को बाहरी क्षेत्रों पर निर्भरता बढ़ानी पड़ सकती है। गौतमबुद्धनगर के जेवर, दनकौर, दादरी व बिसरख ब्लॉक दूध उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। इन्हीं इलाकों से दिल्ली के बड़े हिस्से में आपूर्ति होती है, जिसके लिए दनकौर रेलवे स्टेशन से शटल रेलगाड़ी भी चलती है, जो सवेरे और दोपहर बाद दिल्ली दूध लेकर जाती है। जिला पशुपालन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 20वीं गणना में कुल 3,35,909 पशु दर्ज थे, जो 21वीं गणना में घटकर 2,48,618 रह गए। भैंसों की

संख्या 2,38,761 से घटकर 1,64,964 हो गई। जबकि गोवंश 72,219 से घटकर 64,174 रह गए। पशुपालन में गिरावट का मुख्य कारण जमीनों का अधिग्रहण, चारे की बढ़ती लागत और औद्योगिक व आवासीय विकास को माना जा रहा है। बिसरख, दादरी व दनकौर में नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना प्राधिकरण के विकास के चलते आवासीय सेक्टरों में पशुपालन पर प्रतिबंध व कृषि भूमि के अधिग्रहण से पशुपालकों के सामने जगह व चारे की समस्या बढ़ी है। लागत अधिक, मुनाफा कम जेवर के पशुपालक सुनील प्रधान बताते हैं कि एक भैंस के चारे पर प्रतिदिन करीब 250 से 300 रुपये तक खर्च हो जाता है। इसके मुकाबले दूध की कीमत करीब 60 से 70 रुपये प्रति लीटर है। चारा, पशु चिकित्सा और देखभाल का खर्च निकालने के बाद मुनाफा काफी कम रह जाता है। इस कारण अब लोग पशुपालन को पहले की तरह लाभकारी व्यवसाय नहीं मान रहे हैं। दुधारू पशुओं की संख्या में कमी आने से आने वाले समय में जिले के दूध उत्पादन पर असर पड़ सकता है। विभाग की ओर से पशुपालकों को अनुदान देने और उन्नत नस्ल के पशुओं को पालने के लिए प्रोत्साहित करने की योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

यमुना एक्सप्रेसवे पर जेवर के स्थानीय लोगों को टोल से राहत मिलेगी

एजेंसी

नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे पर जेवर के स्थानीय लोगों को टोल से राहत मिलेगी। इसके लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। इस राहत से जेवर के स्थानीय लोगों का ग्रेटर नोएडा से आगरा तक का सफर सुगम हो सकेगा। बता दें कि यमुना एक्सप्रेसवे पर 14 वर्षों से जेवर क्षेत्र के स्थानीय निवासी टोल शुल्क से राहत की मांग करते आ रहे हैं। इस मांग को लेकर समय-समय पर किसान, सामाजिक प्रतिनिधियों और विभिन्न किसान संगठनों उठाया जाता रहा है। जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह का कहना है कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण और यमुना एक्सप्रेसवे का संचालन करने वाली सुरक्षा समूह की कंपनी के अधिकारियों के साथ कई दौर की वार्ता की गई। क्षेत्रवासियों की दैनिक आवागमन

संबंधी समस्याओं, किसानों के योगदान औ स्थानीय हितों को प्रमुखता से रखे जाने के बाद यह निर्णय हुआ है कि जेवर स्थित यमुना एक्सप्रेसवे से प्रभावित एवं आसपास के पात्र ग्रामों के स्थानीय नागरिकों को जेवर टोल प्लाजा पर टोल शुल्क से मुक्ति की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र स्थानीय नागरिकों को अपने स्थानीय निवासी होने का प्रमाण, आधार कार्ड और वाहन की आरसी (आरसी) की प्रति लेकर 17 सितंबर तक जेवर टोल प्लाजा के मैनेजर कार्यालय में अपने वाहन का पंजीकरण कराना होगा। बताया कि आवश्यक सत्यापन एवं पंजीकरण पूर्ण होने के पश्चात निर्धारित व्यवस्था के अनुसार स्थानीय नागरिकों को टोल शुल्क मुक्त आवागमन की सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

जन्माष्टमी पर सजे मंदिर

एजेंसी

नोएडा। जन्माष्टमी के अवसर पर शहर के प्रमुख मंदिर सजकर पूरी तरह तैयार हो गए हैं। सेक्टर-33 स्थित इस्कॉन मंदिर, सेक्टर-19 स्थित सनातन धर्म मंदिर, सेक्टर-20 स्थित हनुमान मंदिर, सेक्टर-2 स्थित लाल मंदिर, सेक्टर-121 स्थित जगन्नाथ मंदिर, सेक्टर-62 स्थित अय्यप्पा मंदिर और सेक्टर-56 स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर समेत शहर के अन्य मंदिरों में सजावट और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंदिरों को फूलों और रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। शुक्रवार को जन्माष्टमी पर बढ़ी संख्या में श्रद्धालुों के मंदिर में पहुंचने की संभावना है। जन्माष्टमी के अवसर पर सभी मंदिरों के कपाट सुबह चार बजे से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे, जो रात के एक बजे तक खुले रहेंगे। इस्कॉन मंदिर में पास्ता-पिज्जा समेत 500 से अधिक व्यंजनों का लगेगा भोग सेक्टर-33 स्थित इस्कॉन मंदिर में भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के लिए विशेष पूजा, अभिषेक के बाद भगवान कृष्ण को 500 से अधिक प्रकार के व्यंजनों का भोग अर्पित किया जाएगा। जिसके लिए माखन-मिश्री, मिठाइयों से लेकर पिज्जा, पास्ता, केक और अन्य व्यंजन तैयार किए जा रहे हैं। जिसको 25 वर्षों से सेवा में जुटी 30 से अधिक महिलाएं हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए भोग तैयार कर रही हैं। इसके अलावा वृंदावन से 1000 किलोग्राम से अधिक पेड़े का प्रसाद श्रद्धालुओं को वितरित किया जाएगा। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण के केंद्र शाम छह बजे होने वाला हरे कृष्ण रॉक शो होगा, जिसमें कोलकाता, पंजाब, मध्य प्रदेश, केरेला और गुजरात के कलाकार प्रस्तुति देंगे। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की सुविधा और भीड़ को देखते हुए प्रवेश-निकास, पार्किंग और यातायात के साथ अग्निशमन दल, डॉक्टरों की टीम की विशेष व्यवस्था की गई हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रसाद वितरण की भी व्यवस्था की गई हैं। शुक्रवार को कृष्ण जन्माष्टमी शहर के प्रमुख मंदिरों में भी कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसको लेकर मंदिरों को फूलों और लाइटों से सजाया गया है। सेक्टर-19 स्थित सनातन धर्म मंदिर, सेक्टर-20 स्थित हनुमान मंदिर, सेक्टर-2 स्थित लाल मंदिर, सेक्टर-121 स्थित जगन्नाथ मंदिर, सेक्टर-34 स्थित हनुमान राम मंदिर - जगन्नाथ मंदिर, सेक्टर-56 स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर और सेक्टर-62 स्थित अय्यप्पा मंदिर सहित शहर के अन्य प्रमुख मंदिरों में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव पर भजन-कीर्तन, राधा-कृष्ण की झांकियां द्वारा प्रस्तुति समेत कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

धनौरा क्षेत्र में बाढ़ का खतरा बढ़ा, गंगा नदी लगातार कटान पर, नदी में समाई फसलें, किसानों की चिंताएं बढ़ीं

धनौरा/अमरोहा (सब का सपना):- जनपद के मंडी धनौरा क्षेत्र के किसानों पर बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ रहा है इस समय पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं जिस कारण गंगा नदी लगातार कटान कर रही है। जिसका असर अमरोहा जनपद के धनौरा क्षेत्र में दिखाई देना शुरू हो गया है जिसने किसानों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। बता दें कि मंडी धनौरा के खादर क्षेत्र में स्थित इब्राहिमपुर गांव पर गंगा नदी के कटान का खतरा बढ़ गया है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से नदी तेजी से किनारों को काट रही है। इससे गंगा की धार गांव के बहुत

करीब पहुंच गई है। कटान की तेज रफ्तार के कारण गांव का अस्तित्व खतरे में है, जिससे पूरे इलाके में चिंता का माहौल है।गांव में हो रहे इस कटान से ग्रामीणों की खेती की जमीन नदी में समाती जा रही है। स्थानीय ग्रामीण राकेश गुर्जर ने बताया कि नदी के कटान से किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। कई किसानों की गन्ने की फसलें गंगा नदी

में बह गई हैं। नुकसान से बचने के लिए कई ग्रामीण अपनी आधी-अधूरी फसलों को जल्दी-जल्दी काटने में लगे हैं।कटान की स्थिति देखकर ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीण जबर सिंह ने प्रशासन से मदद की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए, तो पूरा गांव नदी में डूब जाएगा। ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन तुरंत राहत कार्य शुरू करे और उनके गांव को कटने से बचाए।मंडी धनौरा के उपजिलाधिकारी (SDM) शैलेश कुमार दुबे ने बताया कि बाढ़ खंड की टीम को मौके पर भेजा गया है। अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। गांव को बचाने के लिए ग्राम प्रधान जबर सिंह, धर्मवीर सिंह, राकेश सिंह, रणवीर सिंह, सचिन फौजी, डालचंद, अरविंद, सत्यपाल सिंह, राम रतन सिंह, प्रवीण सिंह, मदन सिंह, नरेश सिंह, सुमित भाटी, ओमपाल सिंह, भोपाल सिंह, संजय सिंह और मेजर सिंह समेत सभी ग्रामीणों ने प्रशासन से स्थायी समाधान की अपील की है।

कार्यालय ग्राम पंचायत दीपपुर विकास खंड जोया जनपद अमरोहा

पत्रांक: मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांक: 04.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत दीपपुर विकासखंड जोया जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 04.09.2026 से 11.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 11.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मशियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	
45	वाटर स्टोरेज टैंक	प्रति नग	
46	पत्थर रोड़ी 40 एम०एम०	प्रति घन मी०	
47	अन्य सामग्री	प्रति घन मी०	
48	कम्पलीट कार्य	वर्ग मी०/घन मी०/नग	
49	अतिरिक्त कक्ष केन्द्र (CSC)		
50	अन्त्येष्टि स्थल		
51	पुस्तकालय		
52	सीमेंट बेंच		
53	लाइट		
54	डस्टबिन		

नोट-01- यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत दीपपुर
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

सचिव, दीपपुर
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत फरीदपुर उर्फ नसीरपुर विकास खंड जोया जनपद अमरोहा

पत्रांक: मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांक: 04.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत फरीदपुर उर्फ नसीरपुर विकासखंड जोया जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 04.09.2026 से 11.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 11.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मशियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	
45	वाटर स्टोरेज टैंक	प्रति नग	
46	पत्थर रोड़ी 40 एम०एम०	प्रति घन मी०	
47	अन्य सामग्री	प्रति घन मी०	
48	कम्पलीट कार्य	वर्ग मी०/घन मी०/नग	
49	अतिरिक्त कक्ष केन्द्र (CSC)		
50	अन्त्येष्टि स्थल		
51	पुस्तकालय		
52	सीमेंट बेंच		
53	लाइट		
54	डस्टबिन		

नोट-01- यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत फरीदपुर उर्फ नसीरपुर
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

सचिव, फरीदपुर उर्फ नसीरपुर
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत टिकिया विकास खंड जोया जनपद अमरोहा

पत्रांक: मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांक: 04.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत टिकिया विकासखंड जोया जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 04.09.2026 से 11.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 11.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मशियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	
45	वाटर स्टोरेज टैंक	प्रति नग	
46	पत्थर रोड़ी 40 एम०एम०	प्रति घन मी०	
47	अन्य सामग्री	प्रति घन मी०	
48	कम्पलीट कार्य	वर्ग मी०/घन मी०/नग	
49	अतिरिक्त कक्ष केन्द्र (CSC)		
50	अन्त्येष्टि स्थल		
51	पुस्तकालय		
52	सीमेंट बेंच		
53	लाइट		
54	डस्टबिन		

नोट-01- यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत टिकिया
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

सचिव, टिकिया
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत डिडौली विकास खंड जोया जनपद अमरोहा

पत्रांक: मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांक: 04.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत डिडौली विकासखंड जोया जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 04.09.2026 से 11.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 11.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मशियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	
45	वाटर स्टोरेज टैंक	प्रति नग	
46	पत्थर रोड़ी 40 एम०एम०	प्रति घन मी०	
47	अन्य सामग्री	प्रति घन मी०	
48	कम्पलीट कार्य	वर्ग मी०/घन मी०/नग	
49	अतिरिक्त कक्ष केन्द्र (CSC)		
50	अन्त्येष्टि स्थल		
51	पुस्तकालय		
52	सीमेंट बेंच		
53	लाइट		
54	डस्टबिन		

नोट-01- यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत डिडौली
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

सचिव, डिडौली
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत पूरनपुर विकास खंड जोया जनपद अमरोहा

पत्रांक: मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांक: 04.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत पूरनपुर विकासखंड जोया जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 04.09.2026 से 11.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 11.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मशियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	
45	वाटर स्टोरेज टैंक	प्रति नग	
46	पत्थर रोड़ी 40 एम०एम०	प्रति घन मी०	
47	अन्य सामग्री	प्रति घन मी०	
48	कम्पलीट कार्य	वर्ग मी०/घन मी०/नग	
49	अतिरिक्त कक्ष केन्द्र (CSC)		
50	अन्त्येष्टि स्थल		
51	पुस्तकालय		
52	सीमेंट बेंच		
53	लाइट		
54	डस्टबिन		

नोट-01- यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत पूरनपुर
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

सचिव, पूरनपुर
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत ढकिया चमन विकास खंड जोया जनपद अमरोहा

पत्रांक: मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांक: 04.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत ढकिया चमन विकासखंड जोया जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 04.09.2026 से 11.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 11.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मशियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	
45	वाटर स्टोरेज टैंक	प्रति नग	
46	पत्थर रोड़ी 40 एम०एम०	प्रति घन मी०	
47	अन्य सामग्री	प्रति घन मी०	
48	कम्पलीट कार्य	वर्ग मी०/घन मी०/नग	
49	अतिरिक्त कक्ष केन्द्र (CSC)		
50	अन्त्येष्टि स्थल		
51	पुस्तकालय		
52	सीमेंट बेंच		
53	लाइट		
54	डस्टबिन		

नोट-01- यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत ढकिया चमन
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

सचिव, ढकिया चमन
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत मुंढा इम्मा विकास खंड जोया जनपद अमरोहा

पत्रांक: मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांक: 04.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत मुंढा इम्मा विकासखंड जोया जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 04.09.2026 से 11.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 11.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मशियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	
45	वाटर स्टोरेज टैंक	प्रति नग	
46	पत्थर रोड़ी 40 एम०एम०	प्रति घन मी०	
47	अन्य सामग्री	प्रति घन मी०	
48	कम्पलीट कार्य	वर्ग मी०/घन मी०/नग	
49	अतिरिक्त कक्ष केन्द्र (CSC)		
50	अन्त्येष्टि स्थल		
51	पुस्तकालय		
52	सीमेंट बेंच		
53	लाइट		
54	डस्टबिन		

नोट-01- यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत मुंढा इम्मा
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

सचिव, मुंढा इम्मा
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत नीली खेड़ी विकास खंड जोया जनपद अमरोहा

पत्रांक: मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांक: 04.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत नीली खेड़ी विकासखंड जोया जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 04.09.2026 से 11.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 11.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मशियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	
45	वाटर स्टोरेज टैंक	प्रति नग	
46	पत्थर रोड़ी 40 एम०एम०	प्रति घन मी०	
47	अन्य सामग्री	प्रति घन मी०	
48	कम्पलीट कार्य	वर्ग मी०/घन मी०/नग	
49	अतिरिक्त कक्ष केन्द्र (CSC)		
50	अन्त्येष्टि स्थल		
51	पुस्तकालय		
52	सीमेंट बेंच		
53	लाइट		
54	डस्टबिन		

नोट-01- यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत नीली खेड़ी
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

सचिव, नीली खेड़ी
विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

कौन हैं श्रिया रेड्डी

प्रभास और पवन कल्याण संग कर चुकी हैं काम

प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की आगामी फिल्म 'महाकाली' का टीजर आ चुका है और इसने तहलका मचा दिया है। अक्षय खन्ना फिल्म में शुक्राचार्य का किरदार निभाते नजर आएंगे। अक्षय के अलावा फिल्म में श्रिया रेड्डी की भी दमदार झलक है। श्रिया का लुक देखने के बाद दर्शक यह जानने को उत्साहित हैं कि वे कौन हैं?

महाकाली में दिखा श्रिया का रौद्र अवतार

फिल्म 'महाकाली' के टीजर में श्रिया रेड्डी का महाकाली के रूप में रौद्र अवतार देखने को मिला है। बता दें कि यह पहला मौका नहीं है, जब श्रिया ने अपने किरदार से ध्यान खींच हो। इससे पहले भी वे 600 करोड़ी फिल्म का हिस्सा रही हैं और अपने किरदार से दर्शकों का दिल जीत चुकी हैं। 48 वर्षीय श्रिया साउथ फिल्मों में काम कर चुकी हैं। चेन्नई में एक तेलुगु परिवार में जन्मीं श्रिया रेड्डी सिर्फ अदाकारा नहीं हैं, बल्कि वे रेडियो और वीडियो जॉकी भी रह चुकी हैं। इसके अलावा प्रोड्यूसर और टीवी प्रेजेंटर भी रही हैं। अपनी दमदार आवाज और व्यक्तित्व के बूते टीवी की दुनिया में उन्होंने अच्छी पहचान हासिल की। श्रिया तमिल और तेलुगु भाषा की फिल्मों में काम कर चुकी हैं।

प्रभास की फिल्म में जमा चुकी हैं रंग

'महाकाली' से पहले श्रिया प्रशांत नील की ही ब्लॉकबस्टर फिल्म 'सलार पार्ट 1 – सीजफायर' में नजर आ चुकी हैं। 600 करोड़ से अधिक कलेक्शन जुटाने वाली 'सालार' में श्रिया को 'राधा राम मन्नार' के किरदार में देखा गया था। श्रिया ने साल 2002 में बालाजी शक्तिवेल की फिल्म 'समुराई' से एक्टिंग डेब्यू किया था। हालांकि, 'समुराई' में श्रिया ने बहुत छोटा सा किरदार निभाया। साल 2003 में वे 'अप्पुदापुडु' फिल्म में बतौर लीड हीरोइन नजर आईं। मगर, फिल्म चल नहीं पाई थी। फिर वे 'वेयिल' और 'कांचीवरम' जैसी फिल्मों में दिखीं।

इस पूर्व क्रिकेटर की बिटिया हैं श्रिया

एक्टिंग की दुनिया में आने का श्रिया का सफर काफी दिलचस्प है। वे एक प्रतिष्ठित खेल पृष्ठभूमि से आती हैं। पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर भरत रेड्डी उनके पिता हैं। भरत रेड्डी ने 1978 से 1981 के बीच भारतीय क्रिकेट टीम के लिए कई अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। क्रिकेट से संन्यास के बाद उन्होंने दिनेश कार्तिक जैसे मशहूर भारतीय बल्लेबाज को भी शुरुआती दिनों में कोचिंग दी है।

श्रिया की निजी जिंदगी

श्रिया की निजी जिंदगी की बात करें तो उनकी शादी साउथ के एक बड़े फिल्मी परिवार में हुई है। साल 2008 में श्रिया ने तमिल सिनेमा के चर्चित निर्माता विक्रम कृष्णा से शादी की।

नए हॉरर प्रोजेक्ट से जुड़ सकती हैं अनीत

वरुण संग बनेगी जोड़ी

यशराज फिल्म्स को लेकर बीते दिन ही खबर आई कि वह अब उस जॉनर में कदम रखने जा रहा है, जिससे वह पिछले 5 दशकों में दूर रहा। स्पाई यूनिवर्स, रोमांस और एक्शन फिल्मों के बाद स्टूडियो अपनी पहली थिएट्रिकल हॉरर फिल्म की तैयारी में जुट चुका है। फिल्म में वरुण धवन तो पहले ही फाइनल हो चुके हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक, अब इसमें वरुण के अपोजिट 'सैयारा' फेम अनीत पड्डा की भी एंट्री होनी है। निर्देशन के लिए भी 'रकिट बॉयज' फेम अभय पन्नू का नाम पहले ही फाइनल है।

प्री-प्रोडक्शन और लोकेशन रेकी का काम आगे बढ़ रहा

वरुण के अपोजिट अनीत की कास्टिंग को बैनर की ओर से हालांकि अभी तक आधिकारिक नहीं किया गया है। कास्टिंग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अनीत का नाम लगभग है। फिल्म इस साल के आखिर तक फ्लोर पर जाने की तैयारी में है और 2027 में रिलीज का लक्ष्य रखा गया है। इसके प्री-प्रोडक्शन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और लोकेशन रेकी और लॉक करने की प्रक्रिया फाइनल स्टेज पर है।

YRF के लिए बड़ा जॉनर एक्सपेरिमेंट होगी फिल्म

आदित्य चोपड़ा लंबे समय से स्टूडियो के कंटेंट पोर्टफोलियो को विस्तार देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसी रणनीति के तहत हॉरर जॉनर में एंट्री का फैसला लिया गया है। सूत्रों का ये भी कहना है कि फिल्म को पारंपरिक भूत-प्रेत वाली कहानी की बजाय साइकोलॉजिकल हॉरर और सुपरनैचुरल थ्रिलर के मिश्रण के रूप में डेवलप किया जा रहा है। हालांकि कहानी को लेकर टीम ने गोपनीयता बरत रखी है।

अनीत तेजी से बड़े बैनरों की पसंद बनकर उभरी हैं

मेकर्स फिल्म में वरुण और अनीत की बिल्कुल नई जोड़ी पेश करना चाहते हैं। अनीत हाल के दिनों में बड़े बैनरों की पसंद बनकर उभरी हैं और वरुण के साथ उनकी जोड़ी फ्रेश दिखेगी। स्टूडियो का मानना है कि हॉरर फिल्मों में नई जोड़ी दर्शकों पर अलग प्रभाव डालती है, इसलिए किसी इस नए कॉम्बिनेशन को चुना गया है। अभय भी अपनी रिसर्च और बारीकियों पर पकड़ के लिए फेमस हैं, इसी वजह से ह्वत्रस्न ने कमान उन्हें सौंपी है। शूटिंग स्टूडियो सेट और रियल लोकेशन, दोनों जगह होनी है। शुरुआती शूट मुंबई में हो सकता है, बाद में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में भी शूटिंग हो सकती है।

वरुण-अनीत पहले से ही एक-एक हॉरर जोनर की फिल्मों से जुड़े हुए हैं

वरुण इससे पहले 'भेड़िया' में हॉरर-कॉमेडी स्पेस का हिस्सा बन चुके हैं। इसका दूसरा पार्ट भी आना है, जो मैडॉक फिल्म्स के तले बन रहा है। इसलिए YRF की यह फिल्म उनसे बिल्कुल अलग और गंभीर हॉरर परफॉर्मेंस की मांग करेगी। यह उनके करियर का पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा, जिसमें पूरी फिल्म हॉरर टोन पर आधारित होगी। वहीं अनीत की कास्टिंग को लेकर इसलिए भी खूब चर्चा है क्योंकि वह पहले से ही मैडॉक यूनिवर्स की ही 'शक्ति शालिनी' में लीड रोल में फाइनल हैं।

की एंड का के सीक्वल में नजर आ सकती हैं कियारा आडवाणी

इन दिनों कियारा आडवाणी अपनी फिल्म 'टॉक्सिक' को लेकर लगातार चर्चा में हैं। यश के साथ इस फिल्म में उनके किरदार और बोल्ड अंदाज ने खूब ध्यान खींचा है। इसी बीच उनकी अगली फिल्म को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है।
बॉलीवुड में इन दिनों पुरानी फिल्मों के सीक्वल और फ्रेंचाइजी फिल्मों का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में अब साल 2016 में रिलीज हुई फिल्म 'की एंड का' का नाम भी जुड़ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेकर्स करीब 10 साल बाद 'की एंड का 2' बनाने की तैयारी कर रहे हैं। खास बात यह है कि फिल्म की कहानी पिछली फिल्म की कहानी को आगे नहीं बढ़ाएगी। इसके बजाय 'की' और 'का' नाम के किरदारों को रखते हुए एक बिल्कुल नई कहानी दिखाई जाएगी।
बताया जा रहा है कि फिल्म में 'की' के किरदार के लिए कियारा आडवाणी से संपर्क किया गया है। कियारा ने भी इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाई है। हालांकि, अभी उन्होंने फिल्म साइन नहीं की है। वहीं, फिल्म में 'का' का किरदार निभाने वाले एक्टर की तलाश अभी जारी है। मेकर्स कियारा के साथ स्क्रीन शेयर करने के लिए एक सही अभिनेता की तलाश कर रहे हैं।
बता दें कि 'की एंड का' साल 2016 में रिलीज हुई थी। फिल्म में करीना कपूर और अर्जुन कपूर लीड रोल में नजर आए थे। फिल्म की कहानी काफी अलग थी, जिसमें एक शादीशुदा कपल के जरिए पुरुष और महिला की पारंपरिक भूमिकाओं को उलटकर दिखाया गया था। फिल्म का निर्देशन आर. बाल्की ने किया था।

गोलमाल 5 में इस बार कॉमेडी के साथ एक्शन भी, अजय की 'शैतान 2' फिलहाल होल्ड हुई

रोहित शेट्टी की 'गोलमाल' फ्रेंचाइज इस बार सिर्फ हंसी मजाक तक सीमित नहीं रहने वाली है। फिल्म से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, 'गोलमाल 5' को कॉमिक एक्शन एंटरटेनर के तौर पर तैयार किया जा रहा है। मेकर्स का फोकस केवल नई कहानी पर नहीं, बल्कि हर सीन की तकनीकी प्रस्तुति को ज्यादा प्रभावशाली बनाने पर है। कोशिश है कि दर्शकों को डायलॉग्स के साथ-साथ एक्शन, एक्टर्स की बॉडी लैंग्वेज और स्क्रीन पर होने वाली गतिविधियों से भी कॉमेडी का बेहतरीन एक्सपीरियंस मिले। 'गोलमाल 5' की लगभग 80 से 85 फीसदी शूटिंग मुंबई में की गई है। सूत्रों के मुताबिक, इसमें बड़े एक्शन और भीड़ वाले सीन्स के लिए स्टूडियो और कंट्रोल्ड सेट का इस्तेमाल किया गया ताकि कैमरा, लाइट और एक्टर्स की मूवमेंट पर बेहतर नियंत्रण रखा जा सके। वहीं कहानी की जरूरत के मुताबिक महाबलेश्वर और ऊटी में भी शूटिंग हुई है।
इस बार फिल्म के एक्शन को कॉमेडी से अलग नहीं रखा गया है। सूत्र बताते हैं कि किसी कलाकार का गिरना, भागना, गाड़ी का अचानक मुड़ना या किसी चीज का टूटना भी हास्य पैदा करने वाले अंदाज में डिजाइन किया गया है। कई बड़े सीन्स को तीन से छह कैमरों के जरिए एक साथ शूट किया गया, ताकि एक्टर्स के रिएक्शन को भी सही समय पर कैप्चर किया जा सके। इससे एडिटिंग के दौरान कॉमिक टाइमिंग को बेहतर बनाने में मदद मिली है।

कहानी को लेकर सस्पेंस बरकरार, सरप्राइज बनाए रखने की है कोशिश

फिल्म की कहानी और किरदारों को लेकर रोहित सस्पेंस बनाए हुए हैं। उनकी कोशिश है कि दर्शकों को ट्रेलर रिलीज होने तक ज्यादा जानकारी न मिले और तकनीकी प्रस्तुति के स्तर पर भी फिल्म को आगे ले जा सकें।

'शैतान 2' की स्क्रिप्ट पर काम जारी, शूटिंग में अभी वक्त है

वहीं अजय की 'शैतान 2' को मेकर्स सिर्फ फ्रेंचाइज के नाम के सहारे आगे नहीं बढ़ाना चाहते। निर्माता अभिषेक पाठक की प्राथमिकता कहानी को पहली फिल्म के स्तर तक मजबूत बनाना है। फिलहाल स्क्रिप्ट डेवलपमेंट जारी है। फिल्म अभी होल्ड पर है क्योंकि अजय अभी अन्य फिल्मों में बिजी हैं।

सिंह वर्सेस कौर 2 के साथ शहनाज़ गिल का सपना हुआ सच

कुछ किरदार सिर्फ रोल नहीं होते, वो किसी पुराने सपने के सच होने जैसा एहसास होते हैं। शहनाज़ गिल के लिए 'सिंह वर्सेस कौर 2' बिल्कुल ऐसा ही एक खास पल है। सालों पहले जब उन्होंने 'सिंह वर्सेस कौर' देखी थी, तब उनके मन में यह ख्याल आया था कि काश किसी दिन वह भी इस फ्रेंचाइज़ी का हिस्सा बनें। फिल्म खत्म होने के बाद भी यह इच्छा उनके दिल में कहीं बनी रही।
अब ओरिजिनल फिल्म के तेरह साल बाद, शहनाज़ की वही मैनिफेस्टेशन सच हो गई है। वह जसनीत कौर बनकर सीक्वल का हिस्सा बनी हैं और एक ऐसे किरदार में नजर आ रही हैं, जो उन्हें एक बिल्कुल नए सिनेमैटिक स्पेस में ले जाता है। हाल ही में रिलीज़ हुआ 'सिंह वर्सेस कौर 2' का ट्रेलर शहनाज़ को इस मौके को पूरे जोश के साथ अपनाते हुए दिखाता है। शहनाज़ लगातार ऐसे किरदार चुन रही हैं, जो एक परफॉर्मर के तौर पर उन्हें नए रंगों में खुद को एक्सप्लोर करने का मौका दें। और जसनीत शायद अब तक उनकी सबसे एक्लेक्टिक जर्नी साबित हो सकती है। रोमांस हो, कॉमेडी हो, एक्शन हो या थ्रिलर, शहनाज़ इस फिल्म के हर रंग के बीच अपनी खास मौजूदगी दर्ज कराती नजर आती हैं। सीक्वल के साथ फ्रेंचाइज़ी भी एक बड़ा जंप ले रही है। जहां साल 2013 की ओरिजिनल फिल्म एक लोकली रूटेड रोमांटिक कॉमेडी थी, वहीं 'सिंह वर्सेस कौर 2' अपनी दुनिया को काफी बड़े पैमाने पर फैलाती है। पंजाब से कोलकाता और फिर कनाडा तक पहुंचती यह कहानी फ्रेंचाइज़ी को एक मल्टी-कॉन्टिनेंटल स्केल देती है। ट्रेलर में शहनाज़ गिल को जसनीत कौर, एक बंगाली लड़की के रूप में पेश किया गया है, जो गिप्पी ग्रेवाल के निहाल को सीधी टक्कर देती नजर आती है। शहनाज़ अपने खास चार्म और एनर्जी के साथ किरदार में जान डालती हैं, वहीं फिल्म में उन्हें रोमांस, कॉमेडी और एक्शन जैसे कई अलग-अलग रंग एक्सप्लोर करने का मौका भी मिला है।
अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए शहनाज़ गिल कहती हैं, ''सिंह वर्सेस कौर 2' मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि मुझे आज भी याद है कि सालों पहले मैंने 'सिंह वर्सेस कौर' देखी थी और सोचा था, 'काश किसी दिन मैं भी ऐसी फिल्म का हिस्सा बन पाऊं।' और अब मैं सच में यहां हूं, जसनीत का किरदार निभा रही हूं। ईमानदारी से कहूं तो यह उन पलों में से एक है, जब आपको एहसास होता है कि कभी-कभी जो चीजें आप बस यूं ही चाह लेते हैं, वो सच में पूरी हो जाती हैं।
जसनीत का किरदार निभाना बहुत मजेदार था, क्योंकि मुझे रोमांस, कॉमेडी, एक्शन और बहुत कुछ करने का मौका मिला। इस किरदार को समझने और ऐसी चीजें करने में मुझे बहुत मजा आया, जो मैंने पहले कभी ट्राय नहीं की थीं। मैं सभी के फिल्म देखने को लेकर बेहद एक्साइटेड हूं और बस यही उम्मीद करती हूं कि दर्शकों को इसे देखने में उतना ही मजा आए, जितना हमें इसे बनाने में आया।' 'सिंह वर्सेस कौर 2' के साथ शहनाज़ गिल एक ऐसे किरदार को अपना रही हैं, जो उन्हें एक एक्टर के तौर पर खुद का बिल्कुल नया पहलू एक्सप्लोर करने का मौका देता है।